मध्यप्रदेश विधान सभा

(चतुर्दश विधान सभा)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति
का
षष्टम् प्रतिवेदन

(अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र से संबंधित)

(यह प्रतिवेदन 15 दिसम्बर, 2015 को सदन में प्रस्तुत)

विषय सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	**समिति का गठन**	i
2.	**प्रस्तावना**	ii
3.	**प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची**	iii
4.	**विभागों के नाम:-**	
	(1) स्कूल शिक्षा	1
	(2) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	14
	(3) जल संसाधन	17
	(4) वन विभाग	21
	(5) पंचायत एवं ग्रामीण विकास	23
	(6) आवास एवं पर्यावरण	26
	(7) कृषि	27
	(8) गृह	29
	(9) राजस्व	30
	(10) श्रम	34
	(11) चिकित्सा शिक्षा	35
	(12) उच्च शिक्षा	36
	(13) ऊर्जा	37
	(14) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	41
	(15) वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	42
	(16) धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	43
	(17) खेल एवं युवक कल्याण	44
	(18) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	45
	(19) नगरीय प्रशासन एवं विकास	46
	(20) लोक निर्माण	51
	(21) परिवहन	52
	(22) संस्कृति	54
	(23) सहकारिता	55

	(24) खनिज साधन	60
	(25) सामान्य प्रशासन	62
	(26) आदिम जाति कल्याण	63
	(27) अनुसूचित जाति कल्याण	64
5.	**परिशिष्ट - 1** (अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र के आश्वासनों पर पूर्व में प्रस्तुत प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची)	65

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
(वर्ष 2015-16)

सभापति

1. श्री राजेन्द्र पाण्डेय

सदस्यगण

2. श्री बालकृष्ण पाटीदार
3. श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
4. श्री सूबेदार सिंह रजौधा
5. श्री इन्दर सिंह परमार
6. श्री के.के.श्रीवास्तव
7. चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
8. श्री चन्द्रशेखर देशमुख
9. श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना
10. श्री हरदीप सिंह डंग
11. श्री नीलेश अवस्थी

विधान सभा सचिवालय

1. श्री भगवानदेव ईसरानी . . प्रमुख सचिव
2. श्री ए.पी.सिंह . . सचिव
3. श्री जी.के.राजपाल . . अपर सचिव
4. श्री बी.डी.सिंह . . उप सचिव
5. श्री आर.के.गुप्ता . . अवर सचिव
6. श्री सुरेश कुमार त्रिवेदी . . अनुभाग अधिकारी
7. श्री शिवप्रसाद बुन्देला . . अनुभाग अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का षष्टम् प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

2. यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत 12 अगस्त, 2015 को गठित की गई थी ।

3. इस प्रतिवेदन में अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र में विधान सभा में मा.मंत्रिगणों द्वारा सदन में दिये गये आश्वासनों को सम्मिलित किया गया है । वर्णित सत्र में मा.मंत्रियों द्वारा शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 516 आश्वासन दिये गये थे, जिनमें से 02 आश्वासन छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित थे तथा 382 आश्वासनों का निराकरण क्रमश: एकादश विधान सभा एवं द्वादश विधान सभा के विभिन्न प्रतिवेदनों में किया जा चुका है तथा 01 आश्वासन विलोपित किया गया है । इस प्रकार शेष 131 आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरान्त आश्वासनों को इस षष्टम् प्रतिवेदन में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

4. आश्वासनों की अभिपूर्ति हेतु मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्रों का विभागों द्वारा पालन नहीं किये जाने से कई विभागीय आश्वासनों की अभिपूर्ति लगभग 14 वर्ष बाद भी नहीं हो पाई है । संसदीय कार्य नियमावली के अध्याय 8 (आश्वासन) की कण्डिका 8.5(4) अनुसार आश्वासनों के संबंध में आश्वासन पंजी का विभाग द्वारा न तो संधारण किया जा रहा है और न ही पंजी मंत्री जी के अवलोकनार्थ भेजी जा रही है. समिति इस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है तथा अपेक्षा करती है कि संसदीय कार्य नियमावली का पालन किया जाकर लंबित आश्वासनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उनका समय सीमा में निराकरण किया जायेगा ।

5. समिति की बैठक दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 में इस प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अनुमोदित किया गया।

6. समिति विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव/सचिव एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों, विभागीय अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों तथा जिन्होंने समिति के कार्यो में सहयोग प्रदान किया, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करती है ।

राजेन्द्र पाण्डेय
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

स्थान :- भोपाल
दिनाक:- 01 दिसम्बर, 2015.

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्रं.	विभाग का नाम	आश्वा.क्रं.
1.	स्कूल शिक्षा	2, 4, 5, 7, 8, 14 ,17 , 19, 20, 21, 23, 25, 29, 30, 34, 37, 40, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 60, 61, 491, 492, 494, 498, 499, 506, 508, 509, 510, 511, 513
2.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	64, 67, 70, 73, 76, 78, 80
3.	जल संसाधन	88, 89, 90, 93, 99, 106, 109, 114, 173
4.	वन विभाग	118, 127
5.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	136, 146, 148, 158, 159, 164
6.	आवास एवं पर्यावरण	168
7.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	180, 191, 193, 195, 197
8.	गृह	208, 213, 272
9.	राजस्व	236, 240, 244, 246, 247, 252
10.	श्रम	474, 475
11.	चिकित्सा शिक्षा	295
12	उच्च शिक्षा	301, 307
13.	ऊर्जा	312, 314, 316 , 326
14.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	342, 344
15.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	350
16.	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	353
17.	खेल एवं युवक कल्याण	355
18.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	360
19.	नगरीय प्रशासन एवं विकास	362, 367, 373, 374 "A", 374 "B", 375, 381, 385, 386, 387, 395, 396, 406
20.	लोक निर्माण	411, 413, 414, 416
21.	परिवहन	428, 429, 431
22.	संस्कृति	151, 432
23.	सहकारिता	442, 446, 448, 450, 451, 457
24.	खनिज साधन	335, 460, 461
25.	सामान्य प्रशासन	468
26.	आदिम जाति कल्याण	480, 486, 487
27.	अनुसूचित जाति कल्याण	288, 484

अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र
स्कूल शिक्षा विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1.	02	ता.प्र.सं.15 (क्र.1181) दि.10.11.2000	रायसेन जिले में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत किए गये स्थानान्तरण में अनियमितताओं पर कार्यवाही।	परीक्षणोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	दोषी जिला शिक्षा अधिकारी रायसे श्री ए.के.अहिरवार के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। विभागीय जांच एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-6/2002/20-1, दिनांक 24.06.2002	कोई टिप्पणी नहीं.
2.	04	ता.प्र.सं.20 (क्र.749) दि.10.11.2000	होशंगाबाद जिले में कक्षा 06 से 08 तक पढ़ाई जाने वाली होशंगाबाद विज्ञान/बाल विज्ञान के आधार पर नवमीं से 12 वीं तक पाठ्यपुस्तक न होने से एकरूपता न होने पर परीक्षण कर कार्यवाही की जाना।	परीक्षण कराकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।	होशंगाबाद जिले में 06वीं से 08वीं तक होशंगाबाद विज्ञान/बाल विज्ञान का अध्यापन कराया जाता है। नवमीं कक्षा से 12 कक्षा तक अध्यापन नहीं कराया जाता है, क्योंकि 9वीं से 12 तक इसका पाठ्यक्रम नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30-472/2011/बीस-2 दिनांक 22.09.2011	कोई टिप्पणी नहीं.
3.	05	ता.प्र.सं.24 (क्र.785) दि.10.11.2000	सीहोर जिले के इछावर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 1999 से 30 सितम्बर 2000 की अवधि में शिक्षकों व कर्मचारियों की जी.पी.एफ. की राशि के नियम विरूद्ध आहरण के दोषी संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	प्रकरण परीक्षणाधीन है, नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यावही की जावेगी।	1. संचालनालय के आदेश क्र. सत/फ/विजा/जी/5/01/1504, दिनांक 08.06.05 द्वारा श्री आलोक शर्मा, तत्का.विकासखंड शिक्षा अधिकारी इछावर, जिला सीहोर द्वारा सामान्य भविष्य निधि आहरण में की गई अनियमितताओं के आरोप प्रमाणित होने से दो वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया। 2. संचालनालय के आदेश क्र. /सत/फ/विजां/जी/5/01/5010 श्री आर.के.शर्मा तत्का.विकासखंड शिक्षा अधिकारी सीहोर द्वारा सामान्य भविष्य निधि आहरण में की गई अनियमितताओं के आरोप प्रमाणित पाये जाने से दो वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-24/04/20-3, दिनांक 30.11.05	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
4.	07	परि.अता.प्र.सं.29 (क्र.928) दि.10.11.2000	शहडोल नगर स्थित तकनीकी विद्यालय के खाली भवन को रघुराज हायर सेकेण्डरी स्कूल क्रमांक 01 अथवा 02 को उपलब्ध कराया जाना।	प्रस्ताव प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।	संबंधित भवन में उपलब्ध समस्त रिक्त स्थान अन्य शासकीय कार्यालयों (उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, उप संचालक पंचायत एवं समाज सेवा, पर्यावरण कार्यालय, नापतोल कार्यालय, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सुहागपुर) को आवंटित होचुका है अब कोई स्थान शेष नहीं है। अत: रघुराज हायर सेकेण्ड्री स्कूल क्रमांक 01 अथवा 02 को उपलबध हो पाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-24/04/20-3, दिनांक 30.11.05	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	08	परि.अता.प्र.सं.33 (क्र.1001) दि.10.11.2000	संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश दि.23.07.1999 एवं 22.05.2000 द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट पर कार्यवाही।	परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षणोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	विभागीय जांच के संबंध में अद्यतन जानकारी निम्नानुसार है:- **1.** श्री श्याम नारायण शर्मा की विभागीय जांच पूर्ण हो चुकी है। मान.उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रकरण डब्ल्यू.ए.1036/06 श्री ओमकारनाथ पाण्डेय एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं प्रकरण क्र. डब्ल्यू.पी.1100/06 श्री रामराज त्रिपाठी एवं अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2010 के परिप्रेक्ष्य में विभाग के आदेश दिनांक 04.06.2011 से चार सदस्यीय समिति गठित कर जांच कराई गई । उक्त जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 27.08.2011 के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 27.08.2011 के अनुक्रम में संचालनालय के आदेश दिनांक 03.09.2011 द्वारा तीनों लोक सेवकों श्री रामप्रसाद गुप्ता, श्री श्याम नारायण शर्मा एवं श्री मो.हनीफ को निलंबित किया गया है। उक्त निलंबन आदेश के विरूद्ध श्री शर्मा के द्वारा मा.उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका डब्ल्यू.ए.1005/2011 दायर की गई, जिसमें मान.न्यायालय द्वारा दिनांक 20.04.2012 को निर्णय पारित कर उक्त निलंबन आदेश सक्षम अधिकारी स्तर से जारी न होने के कारण अपास्त किये जाने के फलस्वरूप विभाग द्वारा म.प्र.सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत सेवा से पृथक करने हेतु कारण बताओ सूचना जारी करते हुए प्रतिवाद चाहा गया। प्राप्त प्रतिवाद संतोषजनक एवं समाधानकारक न पाये जाने के कारण प्रतिवाद को अमान्य करने संबंधी प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत म.प्र.लोक सेवा आयोग से अभिमत चाहा गया / इसी दौरान श्री शर्मा द्वारा मा.उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्र. डब्ल्यू.पी.15230/2014 दायर की गई जिस पर मा.न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2014 को आगामी सुनवाई तक के लिये स्थगन आदेश पारित किया गया । तत्संबंध में विभाग के पत्र दिनांक 07.11.2014 द्वारा संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर को प्रकरण में तत्काल प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है । संयुक्त संचालक, जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा दिनांक 28.01.2015 को प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है।	आरोप गंभीर है, कानूनी दांव पेच के चलते वर्ष 2010 से अब तक मामले का निराकरण नहीं हो पाया है । विभागीय अधिकारियों की लापरवाही भी स्पष्ट है । समिति इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई 06 माह में पूर्ण हो जाए और इन्हें मदद करने वाले भी दंडित हो जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					2. श्री रामप्रसाद गुप्ता के विरूद्ध दि.05.02.2011 को विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए आदेश जारी किया गया तथा दि.03.09.2011 को निलंबित किया गया। श्री गुप्ता द्वारा दि. 25.02.2011 एवं 10.09.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही के औचित्य पर प्रश्न उठाते हुए कतिपय अभिलेख चाहे गये एवं आरोप पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। विभाग द्वारा श्री गुप्ता के आवेदनों को अमान्य करते हुए उनके विरूद्ध दिनांक 22.09.2014 को विभागीय जांच संस्थित करते हुए संयुक्त संचालक, लोक शिक्षक, जबलपुर संभाग जबलपुर को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। दिनांक 13.03.2015 को जांचकर्ता अधिकारी को स्मरण पत्र जारी करते हुए शीघ्र जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। जांच प्रक्रियाधीन है। **3.** श्री मो.हनीफ खान द्वारा प्राचार्य, उ.मा.वि. के पद पर चयन हेतु वर्ष 1994 में अपेक्षित अनुभव की पूर्ति हेतु हाई स्कूल का शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कदाचरण करने के संबंध में उनके विरूद्ध पूर्व से संचालित विभागीय जांच के आरोपों की प्रचलित जांच में उक्त अतिरिक्त आरोप अधिरोपित कर विभागीय जांच की कार्यवाही की गई। विभागीय जांच अधिकारी संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय द्वारा प्रकरण में जांच कर दिनांक 31.01.2014 को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार संबंधित को दोषी पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश दिनांक 09.03.2015 द्वारा तीन वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने संबंधी दीर्घशास्ति अधिरोपित की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 794/1804/2012/20-4, दिनांक 03.06.2013	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	14	ता.प्र.सं.03 (क्र.1470) दि.17.11.2000	ग्वालियर जिले में 1999-2000 में प्राथ./मा. कक्षा के परीक्षाफल का कार्य कम्प्यूटर खराब होने से पूरा न होने एवं पूर्ववत अंकसूचियां बनाकर वितरित कराने संबंधी परीक्षण एवं कार्यवाही।	जहां तक कम्प्यूटर से संबंधित प्रश्न है तो उसका परीक्षण करा लेंगे और जो भी उचित होगा निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।	कम्प्यूटर में खराबी आने से अंक सूची समय-सीमा में तैयार न होने पर हस्तलिखित अंक सूचियां तैयार कराकर वितरित कर दी गई थी। तकनीकी कारणों से विलंब होने से वास्तविक कार्य का मूल्यांकन कराकर पार्ट पेमेण्ट की कार्यवाही की गई है। संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्टेड करार देकर भविष्य में कोई कार्य न कराने का निर्णय लिया गया था। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30-693/20-2, दिनांक 21.12.2005	कोई टिप्पणी नहीं.
7.	17	अता.प्र.सं.05 (क्र.626) दि.17.11.2000	प्राचार्य मालव कन्या उ.मा.वि. इंदौर द्वारा उक्त शाला के निलंबित प्राचार्य श्री नंदलाल की निलंबित अवधि का वेतन आहरण करने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही एवं राशि की वसूली।	कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। राशि वसूली के संबंध में जांच के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	संचालनालय के आदेश क्र./सर्त/फ/विजां/एफ/6/2/ 2878 दिनांक 29.10.05 द्वारा श्री जी.एस.बामनिया तत्कालीन प्राचार्य की दो वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-113/20-4/05, दिनांक 09.12.05	कोई टिप्पणी नहीं.
8.	19	अता.प्र.सं.31 (क्र.1639) दि.17.11.2000	शिवपुरी जिले में शिक्षकों की रोकी गई वेतन वृद्धियां खोलने के संबंध में शासन द्वारा कार्यवाही।	समीक्षा उपरांत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।	पात्रतानुसार 24 कर्मचारियों की वर्ष 99-2000 में एवं वर्ष 2001 से 2005 तक की अवधि में प्रश्नांकित अवधि के शेष सभी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि खोली जा चुकी हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-116/20-4, दिनांक 13.12.05	कोई टिप्पणी नहीं.
9.	20	अता.प्र.सं.64 (क्र.2285) दि.17.11.2000	जिला शिवपुरी के विधान सभा क्षेत्र पिछोर में शिक्षाकर्मियों को नियुक्तियों में हुए भ्रष्टाचार की जांच।	शिकायतों की कलेक्टर से जांच कराई जायेगी।	शिकायतों की जांच कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा कराई गई। शिकायतकर्ता श्री रघुवीर जाटव ग्राम पो. मनपुरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी से प्रतिवेदन मंगाया गया, जिसमें यह उल्लेख है कि अनु.जाति वर्ग में पुरूष वर्ग को अंकसूची में 64.66 प्रतिशत तक अंतिम आवेदक को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया था। शिकायतकर्ता श्री रघुवीर सिंह का 35.51 प्रतिशत अंक होने से साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया गया। आवेदक (शिकायतकर्ता) की नियुक्ति नहीं हुई और न ही किसी प्रकार का कोई आदेश कार्यालय में रोका गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2343/1597/2011/20-1, दिनांक 18.12.12	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	21	ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 230 दि.17.11.2000	(1) सागर जिले में शिक्षकों के युक्ति-युक्तकरण हेतु स्थानांतरण नीति की अवहेलना करके जो स्थानांतरण नियम विरूद्ध हुये हैं, उसकी जांच उच्च स्तरीय तथा जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके आदेशों में संशोधन। (2) आदेशों में हुई अनियमितता की वरिष्ठ अधिकारी से जांच एवं नियमों के पालन के संबंध में।	(1) यदि स्थानांतरण नीति विरूद्ध हुआ है और जिन नामों का उल्लेख किया गया है उनका समावेश करके उनका निराकरण कर देंगे। (2) डायरेक्टर को भेज देंगे और अगर आपके निर्देशों और शासन की नीतियों की अवहेलना हुई होगी तो उसका पालन करवायेंगे।	कलेक्टर, सागर द्वारा जिला स्तर पर खुला दरबार लगा कर सभी प्रभावित स्थानान्तरण शिक्षकों के प्रकरणों की सुनवाई की गई एवं नीति विरूद्ध किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किये गये एवं निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की गई। यह खुला दरबार दिसम्बर माह में 25, 26 एवं 27 को कलेक्टर सभा कक्ष में लगाया गया था। पश्चात् निरस्तीकरण एवं संशोधन की कार्यवाही की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-139/05, दिनांक 16.09.2005	कोई टिप्पणी नहीं.
11.	23	ता.प्र.सं.13 (क्र.2512) दि.24.11.2000	शहडोल जिले की जैतहरी में 03 कि.मी. की परिधि में संचालित प्राथमिक पाठशालाओं का माध्यमिक शाला में उन्नयन।	हम निश्चित रूप से इसको प्राथमिकता से करवा देंगे।	जैतहरी में 03 कि.मी. की परिधि में शासन के नियमानुसार माध्यमिक शाला खोली गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-673/20-2/2000, दिनांक 09.02.07	कोई टिप्पणी नहीं.
12.	25	परि.अता.प्र.सं.08 (क्र.1245) दि.24.11.2000	वर्ष 1985 से 1989 की अवधि में नियुक्त सहायक शिक्षक को वर्ष 83-84 में नियुक्त सहायक शिक्षक के समान नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान दिया जाना।	परीक्षण किया जावेगा।	वर्ष 1983-84 में नियुक्त सहायक शिक्षक को नियुक्ति दिनांक से पूर्ण वेतनमान का लाभ मा.उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में दिया गया था। वर्ष 1983-84 के बाद ऐसे सहायक शिक्षक को नियुक्ति आदेश में निहित शर्तो के अनुरूप ही वेतन दिया जा रहा है। नियुक्ति आदेश में निहित शर्तो के प्रकाश में नियुक्ति दिनांक से पूर्ण वेतनमान दिये जाने की पात्रता नहीं आती है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1863/2272/2010/बीस-4, दिनांक 30.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं.
13.	29	अता.प्र.सं.03 (क्र.550) दि.24.11.2000	जबलपुर जिले के विकासखण्ड ढीमरखेड़ा में शिक्षाकर्मियों के रूके हुए वेतन का भुगतान।	आहरण होने पर तत्काल भुगतान किया जावेगा।	ढीमरखेड़ा विकासखण्ड जबलपुर में ना होकर कटनी जिले में है ढीमरखेड़ा विकासखण्ड के सभी शिक्षाकर्मियों का माह मार्च, 99 के वेतन का भुगतान 24 नवम्बर 2000 तक कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1310/1326/2014/20-1, दिनांक 16.07.2014	कोई टिप्पणी नहीं.
14.	30	अता.प्र.सं.15 (क्र.2048) दि.24.11.2000	छतरपुर व टीकमगढ़ जिलों के राजपत्रित श्रेणी दो के व्याख्याताओं का अविलंघन कर निलंबित किए जाने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	परीक्षण कर कार्यवाही की जावेगी।	विभाग के आदेश क्र. एफ 44/65/85/बी-2/20-1, दिनांक 27.06.1997 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पदेन अपर संचालक लोक शिक्षण के अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है, उन्हीं अधिकारियों के तहत कार्यवाही की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-219/2000/बीस-4, दिनांक 23.09.2009	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	34	मुख्यमंत्री प्रहर दि.04.12.2000	बजट में खोलने की स्वीकृति उपरांत ग्राम विशेष में खोले गये स्कूल का अन्यत्र स्थानान्तरण करने से पुन: उस स्थान पर स्कूल खोला जाना।	मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगले सत्र में वहां भी जो उनके यहां खुल गया था उसे फिर चालू कर दिया जावेगा।	1. छिंदवाड़ा जिले में वर्ष 1999-2000 में जिला योजना समिति (जिला सरकार) द्वारा युक्तियुक्तकरण के तहत स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 04 हायर सेकण्डरी स्कूल विकास खण्ड अमरवाड़ा में कार्यालयीन आदेश दिनांक 09.07.99 के द्वारा प्रारंभ किये गये। 2. उन्नयन की गई उक्त 04 हायर सेकण्डरी शालाओं के आदेश में हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी उन्नयन की गई संस्था उमावि धनौरा वि.ख. हरई भी शामिल है। शास.हाईस्कूल धनौरा शासन द्वारा वर्ष 1989-90 में प्रारंभ होकर वर्तमान में वर्ष 1999-2000 से हायर सेकेण्डरी के रूप में ग्राम धनौरा में ही निरंतर संचालित है। संस्था आदिम जाति कल्याण विभाग विकासखण्ड में संचालित होने से शिक्षा विभाग भोपाल के आदेश दिनांक 15.03.2000 के अनुपालन में कार्यालयीन आदेश दिनांक 30.03.2000 द्वारा पद सहित स्कूल शिक्षा विभाग से आदिम जाति कल्याण विभाग को हस्तांतरित किया गया है। (टीप उन्नयन कार्या.आदेश दिनांक 09.07.1999 से स.क.02 में अंकित शासकीय हाईस्कूल धनौरा विकासखण्ड अमरवाड़ा त्रुटिवश अंकित है, जबकि संस्था, विकासखण्ड हरई, आजाक ब्लाक अंतर्गत आती है) **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30-681/2000/20-2, दिनांक 27.10.2009	कोई टिप्पणी नहीं.
16.	37	परि.अता.प्र.सं.14 (क्र.3670) दि.08.12.2000	गंभीर अनियमितताओं के आरोप में निलंबित श्री संजीव त्यागी प्रबंधक पेपर पाठ्यक्रम निगम, भोपाल के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किया जाना।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत निर्णय लिया जाएगा।	अवर सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ 48-03/2000/बीस/सी-3, भोपाल दिनांक 02.11.2001 के द्वारा श्री संजीव त्यागी प्रबंधक, कागज म.प्र.पाठ्यक्रम निगम, भोपाल के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच आयुक्त लोक शिक्षण से कराई गई थी, उनके प्रतिवेदन के आधार पर शिकायत निराधार पाई गई पर पूर्ण विचारोपरांत प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-284/2012/20-3, दिनांक 29.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	40	परि.अता.प्र.सं.62 (क्र.5421) दि.08.12.2000	केन्द्र प्रवर्तित व्यावसायिक शिक्षा योजना में प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति।	प्रतिबंध हटने पर शासन के आदेशानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।	परियोजना परीक्षण समिति की बैठक में इस योजनान्तर्गत रिक्त सभी पदों को समाप्त करने की अनुशंसा की गई है । अत: व्यावसायिक शिक्षान्तर्गत किसी भी रिक्त पद पर नियुक्ति नहीं की जा रही है । इन रिक्त पदों में प्रयोगशाला सहायक के पद भी सम्मिलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-817/20-2/2000, दिनांक 20.06.2006	कोई टिप्पणी नहीं.
18.	45	अता.प्र.सं.27 (क्र.4899) दि.08.12.2000	शा.बालक प्राथमिक विद्यालय कांटा फोड़, जिला देवास में परीक्षा शुल्क का दुरूपयोग करने वाले पूर्व प्रधानाध्यापक के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया है । उत्तर प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	उत्तर प्राप्त होने पर निर्धारित से अधिक वसूल की गई परीक्षा शुल्क रू.370/- मय ब्याज के जमा कराई गई है तथा अपचारी प्रधानाध्यापक श्री दुर्गा प्रसाद चौबे को चरित्रावली चेतावनी दी जाकर प्रकरण समाप्त किया गया है । संबंधित प्रधानाध्यापक सेवानिवृत्त भी हो गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1550/1647/20-2/2005, दिनांक 13.05.2005	कोई टिप्पणी नहीं.
19.	46	अता.प्र.सं.33 (क्र.5194) दि.08.12.2000	जिला विदिशा में परीक्षा संकुल केन्द्रों की जानकारी उपलब्ध कराई जाना।	यथाशीघ्र।	संकुल केन्द्रवार, संवर्गवार पद स्वीकृति की जानकारी यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-807/20-2/2000, दिनांक 24.12.2005	कोई टिप्पणी नहीं.
20.	47	अता.प्र.सं.48 (क्र.5424) दि.08.12.2000	छतरपुर जिले में गणित विषय के व्याख्याताओं को रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापना कर कार्यमुक्त किया जाना।	योजना अधिकारी तथा सहायक संचालक (औपचारिकेतर शिक्षा) के पदों पर प्रश्नांकित व्याख्याताओं को कार्यमुक्त किया जावेगा।	प्रश्नाधीन अवधि में पदस्थ व्याख्याताओं श्री एन.सी.एस. निगम, योजना अधिकारी एवं श्री रमाकांत तिवारी, सहायक संचालक (औपचारिकेतर शिक्षा) को कार्यमुक्त कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-273/2005/बीस-1, दिनांक 16.09.2005	कोई टिप्पणी नहीं.
21.	48	अता.प्र.सं.52 (क्र.5718) दि.08.12.2000	बैतूल जिले में शिक्षाकर्मियों के स्वीकृत पदों की पूर्ति।	संशोधित भरती नियम को अंतिम रूप को प्राप्त होते ही भरती प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी, पद नियमों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भरा जायेगा।	संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार संविदा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-421/20-2/2006, दिनांक 24.07.2006	कोई टिप्पणी नहीं.

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr><td>22.</td><td>50</td><td>ता.प्र.सं.16
(क्र.6300)
दि.15.12.2000</td><td>सुवासरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत हाई स्कूल की स्वीकृति।</td><td>जिला योजना समिति के अनुमोदन उपरांत कार्यवाही हो सकेगी।</td><td>सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में 08 हाई स्कूल जिला योजना समिति के अनुमोदन से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला मंदसौर के आदेश दिनांक 14.07.2001 द्वारा स्वीकृत किये जा चुके है।
विभागीय पत्र क्रमांक :-
1556/1642/20-2/2005,
दिनांक 13.05.2005</td><td>कोई टिप्पणी नहीं.</td></tr>
<tr><td>23.</td><td>51</td><td>परि.अता.प्र.सं.01
(क्र.233)
दि.15.12.2000</td><td>देवास जिले में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में 45 छात्रों पर एक शिक्षक के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की जाना।</td><td>रिक्त पदों की पूर्ति से प्रतिबंध शिथिल होने पर भरा जाएगा।</td><td>नियुक्ति प्रक्रिया पुन: प्रारंभ हो गई है। नियुक्तियों शीघ्र की जाकर रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी।
विभागीय पत्र क्रमांक :-
एफ 30-129/2001/20-1,
दिनांक 14.08.2001</td><td>कोई टिप्पणी नहीं.</td></tr>
<tr><td>24.</td><td>52</td><td>परि.अता.प्र.सं.09
(क्र.1586)
दि.15.12.2000</td><td>विदिशा जिले में केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृत पदों की पूर्ति।</td><td>शासन से प्रतिबंध हटने के पश्चात् नियुक्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।</td><td>म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. एफ 57-3/2007/20-2, दिनांक 07.08.2007 के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत समस्त रिक्त पद समाप्त कर दिये गये है। अत: अब नियुक्ति दी जाना संभव नहीं है।
विभागीय पत्र क्रमांक :-
एफ 30-780/2000/बीस-2,
दिनांक 07.12.2009</td><td>कोई टिप्पणी नहीं.</td></tr>
<tr><td>25.</td><td>54</td><td>परि.अता.प्र.सं.50
(क्र.6688)
दि.15.12.2000</td><td>विकासखंड महिदपुर जिला उज्जैन में एक शिक्षकीय शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था।</td><td>अपरिहार्य कारणों से युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं होती है तो 30 दिवस में दूसरे शिक्षकों की व्यवस्था कर ली जावेगी।</td><td>उज्जैन जिला अंतर्गत विकासखखण्डवार एक शिक्षकीय शालाओं में अतिरिक्त शिक्षक की पूर्ति के पश्चात् निम्नानुसार स्थिति है:-
<table>
<tr><th>क्र</th><th>विकासखंड का नाम</th><th colspan="2">एक शिक्षकीय शालाओं की संख्या</th><th colspan="2">शालाओं की संख्या जिसमें अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था की गई</th><th colspan="2">शेष रही शालाएं जिसमें अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था की जाना है</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td><i>प्रावि.</i></td><td><i>मावि.</i></td><td><i>प्रावि.</i></td><td><i>मावि.</i></td><td><i>प्रावि.</i></td><td><i>मावि.</i></td></tr>
<tr><td>1</td><td>उज्जैन</td><td>27</td><td>01</td><td>27</td><td>01</td><td>00</td><td>00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>तराना</td><td>30</td><td>01</td><td>26</td><td>01</td><td>04</td><td>00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>घटिया</td><td>14</td><td>00</td><td>14</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>खाचरौद</td><td>27</td><td>02</td><td>24</td><td>02</td><td>03</td><td>00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>बडनगर</td><td>50</td><td>02</td><td>44</td><td>02</td><td>06</td><td>00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>महिदपुर</td><td>47</td><td>01</td><td>33</td><td>01</td><td>14</td><td>00</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>195</td><td>07</td><td>168</td><td>07</td><td>27</td><td>00</td></tr>
</table>
03 मा.वि. एवं 01 मा.वि. शिक्षक विहीन थे, किन्तु शैक्षणिक व्यवस्था स्वरूप शालाओं में शिक्षक की व्यवस्था की गई है।
विभागीय पत्र क्रमांक :-
एफ 30-822/2000/बीस-2,
दिनांक 07.10.2009</td><td>कोई टिप्पणी नहीं.</td></tr>
</table>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26.	57	अता.प्र.सं.09 (क्र.4741) दि.15.12.2000	मासोद हाई स्कूल भूमि पर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही।	नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।	संबंधित स्कूल पर हुआ अतिक्रमण नायब तहसीलदार मुलताई द्वारा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा वर्ष 2001 में हटाया जा चुका है। वर्तमान में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण शाला भूमि पर नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30-163/20-3/2000, दिनांक 23.10.2009	कोई टिप्पणी नहीं.
27.	58	अता.प्र.सं.15 (क्र.5189) दि.15.12.2000	विदिशा जिले में आने वाली शासकीय शालाओं के पास उपलब्ध भूमि पर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही।	अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी है कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् अतिक्रमित भूमि मुक्त कराने की कार्यवाही की जायेगी।	जिले की शासकीय शालाओं में कलेक्टर, जिला विदिशा के निर्देश दिनांक 07.06.2005 के अनुपालन में समस्त अतिक्रमण हटाये जा चुके है। अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-165/20-3/2000, दिनांक 23.10.2009	कोई टिप्पणी नहीं.
28.	60	अता.प्र.सं.31 (क्र.5740) दि.15.12.2000	आयुक्त लोक शिक्षक संचालनालय में 20.11.2000 की स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण।	परीक्षणाधीन है।	आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.भोपाल के कार्यालय में 20 नवम्बर 2000 की स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति का कोई प्रकरण लंबित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-284/12/20-3, दिनांक 29.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं.
29.	61	अता.प्र.सं.32 (क्र.5762) दि.15.12.2000	प्राचार्य के पद की पूर्ति।	पद पूर्ति की प्रक्रिया प्रचलित है।	शिक्षक/व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही संपन्न की गई है। प्रदेश में रिक्त प्राचार्यो के पदों पर कुल 453 प्राचार्यो की पदोन्नति आदेश जारी कर रिक्त पदों की पूर्ति की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1612/20-2/2005, दिनांक 13.05.2005	कोई टिप्पणी नहीं.
30.	491	ता.प्र.सं.03 (क्र.2705) दि.01.12.2000	खातेगांव विकासखंड अंतर्गत इकलेरा गांव में शाला भवन का निर्माण एवं पीने की पानी की व्यवस्था आदि कार्य को पूर्ण किया जाना।	जिला प्रशासन को मैं खुद यहां से निर्देशित कर दूंगा कि ये पेयजल की व्यवस्था जल्दी करवा दें इतना बड़ा जिला है बहुत सारे हैण्डपंप खनन हो रहे है तो बच्चों के लिए एक और खनन करवा देंगे ऐसा नहीं है कि ये कार्य नहीं हो पाएगा।	ग्राम इकलेरा विकासखण्ड खातेगांव के माध्यमिक शाला भवन में 04 कक्ष उपलब्ध है एवं दर्ज संख्या 117 है तथा प्राथमिक शाला भवन में 04 कक्ष उपलब्ध है एवं दर्ज संख्या 74 है। पेयजल हेतु 03 हैण्डपंप है दर्ज संख्या को देखते हुए उपलब्ध कक्षों की संख्या एवं पेयजल की उपलब्धता पर्याप्त है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 715/676/2014/20-3, दिनांक 05.06.2014	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31.	492	अता.प्र.सं.04 (क्र.4549) दि.01.12.2000	सहायक संचालक खेल, श्री राजेश तिवारी के विरूद्ध शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।	जिला शिक्षा अधिकारी से स्पष्ट अभिमत प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।	प्राप्त शिकायतों की जांच उप संचालक, शिक्षा जिला राजगढ़ से कराई गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार खेल कूद शिविरों के आयोजनों में अनियमित व्यय के संबंध में की गई जांच के उपरांत लोक शिक्षक संचालनालय के पत्र दिनांक 01.07.2014 द्वारा श्री तिवारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर प्रतिवाद चाहा गया था। श्री तिवारी द्वारा दिनांक 16.09.2014 को अभिलेखों सहित प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया। प्रतिवाद का परीक्षण करने के उपरांत श्री तिवारी को भविष्य के लिये सचेत किया जाकर लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र. स्था.01/सत/सी/2014/भोपाल/253, दिनांक 30.05.2014 द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1488/611/2014/20-4, दिनांक 08.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
32.	494	ता.प्र.सं.21 (क्र.3977) दि.01.12.2000	अटेर विकासखण्ड में कारगिल सहायक कोष राशि के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच।	यथासंभव, यथाशीघ्र।	**(1)** शिकायतों की जांच दो अधिकारियों के द्वारा कराई गई :- 1. श्री डी.व्ही.सहारिया, प्राचार्य, शा.उ.मा.वि., भिण्ड। 2. श्री आर.के.सिंह, प्राचार्य, शा.उ.मा.वि., मेहगांव। जांच अधिकारियों द्वारा कारगिल सहायता कोष राशि विलंब से भेजने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी बताया गया। जिसमें राशि एवं जमा राशि में कोई अंतर नहीं पाया गया। **(2)** कलेक्टर, भिण्ड ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर कारगिल सहायता कोष में विलंब से राशि जमा कराये जाने एवं कैश बुक संधारण विधिवत् न कराने के लिए दोषी अधिकारी का प्रकरण अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अग्रेषित किया था। **(3)** आयुक्त, चंबल संभाग के आदेश दिनांक 24.08.2002 द्वारा श्री जे.पी.श्रीवास्तव, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अटेर, जिला भिण्ड को आंशिक रूप से दोषी पाये जाने के कारण उनको परिनिन्दा की लघुशास्ति से दण्डित किया जाकर प्रकरण समाप्त किया गय है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-267/20-3/05, दिनांक 15.12.2005	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.	498	परि.अता.प्र.सं.27 (क्र.3501) दि.01.12.2000	सतना जिले के विकासखण्ड सोहावल, रामपुर मझगवां में दसवें वित्त आयोग अंतर्गत मिडिल स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था।	इन शेष 47 शालाओं में शीघ्र ही हेण्डपंप लगाया जायेगा।	शेष 47 शालाओं में पीने के पानी हेतु हैण्डपंप की व्यवस्था की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30/718/2005, दिनांक 19.09.2005	कोई टिप्पणी नहीं.
34.	499	परि.अता.प्र.सं.30 (क्र.3542) दि.01.12.2000	रीवा ब्लॉक के ग्रामीण शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक/सहायक शिक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति।	शेष रिक्त पदों की पूर्ति संविदा शिक्षक के द्वारा की जा सकेगी।	वर्ष 2001 एवं वर्ष 2003 में संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती की जाकर पद पूर्ति की कार्यवाही की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1596/1586/2012/20-2, दिनांक 06.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं.
35.	506	परि.अता.स.84 (क्रं.4666) दि.01.12.2000	सतना में नियुक्ति से वंचित शिक्षाकर्मियों को नियुक्ति दी जाना।	प्रकरण परीक्षणाधीन है।	प्रकरण में कलेक्टर जिला सतना के द्वारा जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सतना को दोषी पाया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 177/2009/20-1, दि.19.10.2010	विचाराधीन मामले में लंबे समय से पत्राचार किये जाने एवं विभागीय अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य लिए जाने के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई यह अत्यन्त खेदजनक है। समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि प्रकरण में दिये गये आश्वासन पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी।
36.	508	परि.अता.प्र.सं.92 (क्र.4735) दि.01.12.2000	होशंगाबाद एवं हरदा के अधीनस्थ शासकीय स्कूलों के शिक्षाकर्मी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कार्यवाही।	नियुक्ति पर लगा प्रतिबंध समाप्त होने के उपरांत भर्ती हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	होशंगाबाद एवं हरदा जिले में संविदा शाला शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति वर्ष 2001, 2003, 2005 एवं 2008 में संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति की जाकर कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1557/1694/2012/20-1, दिनांक 28.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं.
37.	509	अता.प्र.सं.30 (क्र.3627) दि.01.12.2000	वर्ष 1999 में शा.उ.मा.विद्यालय चाबी जिला मंडला के नवीन भवन के अमानक स्तर के निर्माण कार्य की जांच एवं कार्यवाही।	जांच कराये जाने के पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।	वर्ष 1999 में शासकीय उ.मा.विद्यालय चाबी जिला मंडला के नवीन भवन में अमानक स्तर के निर्माण कार्य की जांच की मांग एवं कार्यवाही के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी जिला मंडला ने पत्र क्रमांक 1486, दिनांक 07.07.2012 के माध्यम से अवगत कराया है कि शासकीय उ.मा.वि.चाबी जिला मंडला का वर्ष 1999-2000 तक कोई भवन स्वीकृत नहीं हुई है। अत: भवन की अमानक स्तर की जांच की जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 866/677/2014/20-3, दिनांक 24.07.2014	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38.	510	अता.प्र.सं.31 (क्र.3676) दि.01.12.2000	राजीव गांधी शिक्षा मिशन कचन गांव का निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को मजदूरी का भुगतान तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	संबंधित निर्माण समिति द्वारा भुगतान नहीं किये जाने के कारणों की जांच की जा रही है एवं जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	जांच उपरांत मजदूरों का भुगतान कर दिया गया है। अब कोई भुगतान शेष नहीं है। मूल्यांकन में विलंब करने वाले दोषी उपयंत्री की सेवायें समाप्त कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30-266/2012/20-3, दिनांक 18.10.2012	कोई टिप्पणी नहीं.
39.	511	अता.प्र.सं.46 (क्र.4130) दि.01.12.2000	विधान सभा क्षेत्र 270 इंदौर क्रमांक-। के विद्यालयों में शिक्षकों के पदों को भरा जाना।	रिक्त पदों की पूर्ति भर्ती पर प्रतिबंध शिथिल होने पर तथा पदोन्नति द्वारा की जायेगी।	उत्तर अप्राप्त	दिसम्बर 2000 के आश्वासनों की पूर्ति अभी तक न हो पाना स्पष्ट करता है कि विभागीय अधिकारियों की उदासीनता और मामले को टालने की प्रवृत्ति ही है। समिति द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 04.06.2001 से लगातार पत्राचार किये जाने एवं विभागीय अधिकारियों की मौखिक साक्ष्य रखे जाने के बावजूद प्रारंभिक जानकारी अप्राप्त रही है। समिति विभागीय अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण कार्यवाही की निन्दा करती है और इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि दिये गये आश्वासन के अनुरूप त्वरित कार्रवाई की जायेगी और आश्वासन की जानकारी यथा समय न भेजने के दोषी भी दण्डित होंगे।
40.	513	अता.प्र.सं.66 (क्र.4588) दि.01.12.2000	भोपाल जिले के शासकीय विद्यालयों में संस्कृत विषय के स्नातक शिक्षक द्वारा अध्यापन न कराये जाने की विसंगति को दूर किया जाना।	भर्ती पर प्रतिबंध शिथिल होने पर तथा पदोन्नति द्वारा पदों की पूर्ति होने पर विसंगति दूर हो सकेगी।	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 अंतर्गत विषयमान से सीधी भर्ती का प्रावधान नहीं है। वर्ष 2005 से विषय समूहवार भर्ती के अंतर्गत गणित समूह विज्ञान समूह एवं सामाजिक विज्ञान समूह में नियोजन की कार्यवाही की गई है। भोपाल जिले में 285 उक्तानुसार पदों पर नियोजन की कार्यवाही की गई है । पदोन्नति नियमों में विषयमान से पदोन्नति का प्रावधान नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30-725/20-2, दिनांक 21.12.2005	कोई टिप्पणी नहीं.

अक्टूबर-दिसम्बर 2000 सत्र
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41.	64	ता.प्र.सं.07 (क्र.465) दि.08.11.2000	बालाघाट शहर हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नियत मात्रा में शुद्ध जल का प्रदाय तथा नगरपालिका से नवीन योजना का संकल्प प्राप्त कर प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाना । मा.उपाध्यक्ष महोदय के निर्देश आप इसकी अतिशीघ्र जांच करा लें। 15 दिन के अंदर प्रकरण की समीक्षा कर के संकल्प को प्राप्त कर के उसकी अनुशंसा के साथ केन्द्र सरकार को प्रेषित कर देंगे 15 दिन के अंदर कार्यवाही हो जायेगी।	1. योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत प्रस्तावित शेष कार्य पूर्ण होने पर निर्धारित मापदण्डानुसार जल प्रदाय किया जावेगा । 2. संकल्प प्राप्त होने के बाद इसे करवा लेंगे विभाग को अभी संकल्प नहीं मिला है । फिर भी हम इसे दिखवा लेंगे। 3. जी हां।	बालाघाट नगर की आवर्धन जलप्रदाय योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन लागत रूपये 446.00 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु शासन के ज्ञाप क्र.एफ-7/27/97/2/34, दिनांक 25.01.2001 द्वारा प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को भेजा गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से योजना के शेष कार्य क्रियान्वित किये जाने, नगरपालिका परिषद का संकल्प क्रमांक 01 दिनांक 13.02.2001 द्वारा प्राप्त है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13/258/2001/12/34, दिनांक 16.10.2001	कोई टिप्पणी नहीं.
42.	67	ता.प्र.सं.22 (क्र.859) दि.15.11.2000	बालाघाट आवर्धन जल प्रदाय योजना के वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट के लिये निविदा आमंत्रित की जाना।	पुनरीक्षित योजना स्वीकृति एवं आवंटन प्राप्ति पर निविदा आमंत्रित की जावेगी।	बालाघाट नगर की पुनरीक्षित आवर्धन योजना लागत रूपये 446.00 लाख की स्वीकृत थी, जिसके तहत 11 एम.एल.डी. क्षमता का जल शोधन संयत्र निर्माण का कार्य पूर्ण कर योजना का लोकार्पण दिनांक 17.07.2010 को मा.मंत्री जी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं सहकारिता विभाग, म.प्र.शासन भोपाल द्वारा किया जा चुका है एवं योजना से नियमित जल प्रदाय प्रारंभ है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-190/2011/2/34, दिनांक 30.06.2011	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43.	70	परि.अता.प्र.सं.18 (क्र.2614) दि.29.11.2000	श्री यू.पी.श्रीवास्तव द्वारा दि.12.07.99 से 15.07.99 की अवधि में बुढार एवं शहडोल दोनों जगह एक साथ उपस्थिति दिये जाने की जांच तथा उस पर कार्यवाही।	जांच पूर्ण होने पर बताया जावेगा।	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड बुढार, शहडोल में माह जुलाई 1999 में उपस्थिति पंजी के पन्ने फाड़े जाने हेतु जांच अधीक्षण यंत्री, कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र जबलपुर द्वारा की गई। जांच के दौरान पाया गया है कि हाजरी रजिस्टर में श्री यू.पी.श्रीवास्तव के हस्ताक्षर दिनांक 15.07.99 तक थे तथा श्री डी.पी.तिवारी, तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री द्वारा हाजरी रजिस्टर का पन्ना फाड़ा गया है। शिकायत की जांच पूर्ण की जा चुकी है। दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-88/2000/1/34, दिनांक 17.10.2001	कोई टिप्पणी नहीं.
44.	73	ता.प्र.सं.06 (क्र.5357) दि.06.12.2000	सागर तालाब की जलमल निकासी के कार्य को पूर्ण किया जाना।	शेष कार्य जून माह तक पूरा करायेंगे।	सागर तालाब पर्यावरण एवं विकास योजना के कार्यो को पूर्ण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 4235/2000/2/34, दिनांक 18.11.2014	कोई टिप्पणी नहीं
45.	76	परि.अता.प्र.सं.20 (क्र.3672) दि.06.12.2000	वर्ष 1997-98 में नलकूप प्रदाय योजना अंतर्गत जिला मण्डला के ग्राम गोरखपुर में विद्युतीकरण कार्य।	विद्युत मण्डल केक अधिकारियों द्वारा शीघ्र कनेक्शन हेतु आश्वासन दिया गया है।	ग्राम गोरखपुर विकासखण्ड घुघरी के नलजल योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति लागत रूपये 17.88 लाख की मुख्य अभियंता जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर के आदेश क्रमांक 52/तक/दिनांक 08.02.2012 द्वारा प्रदान की गई है। नलजल प्रदाय योजना के स्थाई विद्युत कनेक्शन कार्य के लिये कार्यपालन यंत्री मण्डला द्वारा कार्यादेश दिया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2446/2329/2011/2/34, दिनांक 07.06.2012	कोई टिप्पणी नहीं.
46.	78	ता.प्र.सं.11 (क्र.5860) दि.13.12.2000	परियोजना खण्ड कटनी, जिला कटनी अंतर्गत नलकूपों के खनन एवं भुगतान में अनियमितताओं की जांच एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन परीक्षणाधीन है। परीक्षणोपरांत उत्तरदायित्व तय कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण से जुड़े कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री तथा दो उप यंत्री को दि.17.05.2001 को आरोप पत्रादि जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गई है। आदेश क्र. 42, दि.20.07.2001 द्वारा जांचकर्ता अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1594/2001/1/चौतीस, दि.21.08.2001	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
47.	80	अता.प्र.सं.51 (क्र.5859) दि.13.12.2000	सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उप खण्ड विजयराघवगढ़, जिला कटनी द्वारा किये गये फर्जी भुगतान की जांच तथा कार्यवाही ।	लोकायुक्त का जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है । जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही संभव होगी ।	प्रकरण की जांच लोकायुक्त संगठन द्वारा की जा रही है । संगठन के चाहे अनुसार प्रकरण में संबंधित समस्त मूल दस्तावेज उन्हें प्रेषित किये जा चुके हैं ।जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है, प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-107/2000/1/34, दिनांक 04.02.2002	कोई टिप्पणी नहीं.

अक्टूबर-दिसम्बर 2000 सत्र
जल संसाधन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
48.	88	ता.प्र.सं.05 (क्र.3041) दि.27.11.2000	ग्वालियर स्थित के.टी.एफ.सी. उपखंड से लहार उपखंड में उप यंत्रियों के समायोजन में निर्धारित मापदण्ड का पालन न करने की जांच तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	1. मै मा.सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि निजी तौर पर इसकी जांच करा लूंगा। जांच कराने के बाद जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। 2. मैंने कहा है कि 03 महीने में जांच करा ली जाएगी और जांच के तथ्यों से मा.सदस्य को अवगत करा दिया जाएगा।	मु.अ.यमुना कछार 22/11/2000 ग्वालियर के अंतर्गत कार्यरत के.टी.एफ.सी. उप संभाग क्र. 04 ग्वालियर को मय स्वीकृत अमले में पूर्णविनियोजित कर भाण्डेर नहर निर्माण उप संभाग क्र. 05 लहार में स्थापित किया गया। उक्त उप संभाग में उप यंत्री के स्वीकृत 06 पद के विरूद्ध 12 उप यंत्री कार्यरत थे। शासन आदेशानुसार स्वीकृत अमले के 06 उप यंत्री ही लहार भेजा जाना थे। उक्त परिस्थिति में समय समय पर प्र.अ./मु.अ./कार्यपालन यंत्री द्वारा उप यंत्रियों की पदस्थापना के आदेश/निर्देश किये गये। फलस्वरूप पुर्नविनियोजित दिनांक से 02 उप यंत्री नई पदस्थापना में कार्यरत थे तथा उपरोक्त दर्शाई गई परिस्थितियों से उत्पन्न कमी को दूर करने हेतु शेष 04 उप यंत्रियों के पदस्थीकरण प्र.अ.के आदेश क्र. 3313364/13, दिनांक 22.11.2000 द्वारा जारी कर वरिष्ठता क्रम में उप यंत्रियों को पुन: पदस्थ कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप स्वीकृत अमले के अनुसार 06 उप यंत्री लहार स्थानांतरित किये जा चुके है तथा सभी उप यंत्रियों द्वारा कार्य ग्रहण कर लिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21/151/2000/पी-1/इक्तीस, दिनांक 24.11.2003	कोई टिप्पणी नहीं.
49.	89	परि.अता.प्र.सं.43 (क्र.3324) दि.27.11.2000	सितम्बर-अक्टूबर, 2000 में मुरैना जिले के 33 के.व्ही. तथा 11 के.व्ही. लाईनों के चोरी जाने के संबंध में दोषियों पर कार्यवाही।	प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण तथा कार्यवाही संभव हो सकेगी।	मुख्य अभियंता, यमुना कछार, जसंवि, ग्वालियर को प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार लाईनों के चोरी की रिपोर्ट पुलिस थाने में की गई है। रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर पुलिस विभाग कार्यवाही करेगा। अत: विभागीय स्तर पर वर्तमान में उत्तरदायित्व की स्थिति नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** **3स-2/सी.पी.सी./वि.स./आ.क्र./365/31/02,** **दिनांक 06.07.2001**	कोई टिप्पणी नहीं..

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50.	90	अता.प्र.सं.08 (क्र.1286) दि.27.11.2000	मोहिनी सागर बांध, जिला शिवपुरी में दोआब नहर से प्रभावित किसानों को मुआवजे का भुगतान।	अवार्ड पारित होने की कार्यवाही गतिशील है।	ग्राम केरूआ के कास्तकारों की मुआवजा भुगतान हेतु राशि रू.1,36,97,037.00 चेक क्रमांक सी-603725, दिनांक 01.06.2001द्वारा भू-अर्जन अधिकारी जिला ग्वालियर को उपलब्ध करवा दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-27/44/31/सा/2001, दिनांक 21.09.2001	कोई टिप्पणी नहीं.
51.	93	ध्यानाकर्षण सूचना क्र 285 दि.27.11.2000	बाणसागर परियोजना के विस्थापितों को मुआवजा एवं मूलभूत सुविधाएं न दिए जाने की जांच तथा कार्यवाही।	1. हम एक वरिष्ठ अधिकारी, प्रिंसीपल सेक्ट्री को भेजकर के पूरे इलाके का दौरा करेंगे और करने के बाद शासन को प्रतिवेदन देने के बाद उस पर तत्काल कार्यवाही होगी इतना में उनको आश्वस्त कर सकता हूं। 2. जैसा मैंने कहा कि प्रतिवेदन आने के बाद हम मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में फिर एक बैठक कर लेंगे और पूरी समीक्षा करेंगे और बाणसागर के उसमें पुनर्वास संबंधी कोई परेशानी न हो इसकी पूरी कोशिश करेंगे। 3. अगर ऐसी कोई शिकायत है तो उस पर हम लोग अमल करेंगे, कार्यवाही करेंगे और माननीय सदस्य अगर और अधिक उत्सुक है तो मैं खुद मौके पर जाकर दौरा कर लूंगा। माननीय सदस्य को साथ ले जाउंगा, शिवमोहन सिंह जी को साथ ले जाउंगा उसके बाद फिर हम लोग उस पर कार्यवाही करेंगे।	1. प्रकरण में विस्थापितों को मूल-भूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में प्रमुख सचिव जल संसाधन द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि मूलभूत सुविधाएं तथा मुआवजा भुगतान की कार्यवाही बाणसागर बांध निर्माण की प्रगति के अनुरूप है। अत: तदनुसार प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन पर आगे कार्यवाही की स्थिति नहीं है। 2. निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत मा.मुख्यमंत्री द्वारा परियोजना के निर्माण की प्रगति, पुनर्वास एवं भू-अर्जन की समीक्षा के लिये ली गई बैठकों में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं पाई गई है। मा.विधायक भी बैठकों में उपस्थित रहे है। 3. सरल क्र. 01 एवं 02 के अनुसार प्रकरण में अतिरिक्त कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई है। मा.विधायक को भी स्थिति से शासन के पत्र क्र.529/उस-2/सोपी/31/2001, दि.05.07.2001 द्वारा अवगत कराया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 21(A)1/2000/आ./MPS/31/2229, दिनांक 27.09.2011	कोई टिप्पणी नहीं.
52.	99	अता.प्र.सं.89 (क्र.4982) दि.04.12.2000	राजघाट नहर संभाग क्र.05, करैरा में पदस्थ तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री एन.एल.शिवहरे द्वारा ठेकेदारों के भुगतान में की गई अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही।	विभाग में प्राप्त शिकायत पर जांच प्रमुख अभियंता स्तर पर गतिशील है। जांचोपरांत ही सही स्थिति बताई जा सकती है।	शिकायत पर प्रारंभिक जांचोपरांत कार्यवाही की स्थिति नहीं पायी गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3स-2/सी.पी.सी./आ.क्र.366/31/01, दि.06.07.2001	कोई टिप्पणी नहीं..

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
53.	106	अता.प्र.सं.66 (क्र.4648) दि.04.12.2000	जल संसाधन संभाग सीहोर में बिना तकनीकी स्वीकृति के विगत तीन वर्ष से वर्तमान तक कराये गये कार्यो की जांच तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही ।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत गुण दोष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु जिम्मेदारी निर्धारित की जाना संभव हो सकेगा ।	विभागीय आदेश दिनांक 26.06.2000 द्वारा श्री पी.के.भल्ला, एवं श्री व्ही.के.श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्रियों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई थी । विभागीय आदेश दिनांक 18.10.2002 द्वारा श्री पी.के.भल्ला कार्यपालन यंत्री एवं श्री व्ही.के.श्रीवास्तव कार्यपालन यंत्री को विभागीय आदेश दिनांक 15.06.2005 द्वारा विभागीय जांच से दोष मुक्त किया गया । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 867/2-1080/पी-2/31/2011, दिनांक 22.06.2011	कोई टिप्पणी नहीं..
54.	109	ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक दि.05.12.2000	प्रदेश के अधिकांश जिलों में भू-स्तर के गिरावट होने से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु प्रयास किया जाना एवं केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा सब सर्फेस हाइक परकोलेशन तालाब आदि योजनाओं के क्रियान्वयन न होने की जांच ।	1. हम इसका परीक्षण करवाएंगे और भारत सरकार से भी चर्चा करेंगे और इस संबंध में क्या व्यवस्था कर सकते है, इस संबंध में हम कोशिश करेंगे। 2. किसी प्रकार कही प्रक्रिया में कोई उल्लघंन हुआ हो या किसी प्रकार के धन के उपयोग में अनियमितता की बात हुई होगी तो इस प्रकरण को मैं गंभीरता से लेकर मा.सदस्य को जानकारी उपलब्ध करा दूंगा ।	1. भू-जल स्तर की गिरावट रोकने तथा प्रदेश के भू-जल संसाधनों के संरक्षण/संधारण के प्रबंधन हेतु प्रस्तावित राज्य जल नीति में भू-जल विकास के प्रावधान किये गये है । भू-जल के उपयोग को उस सीमा तक किया जाना चाहिए जहां तक इसकी कुल पूर्ति की जा सके । **- एक राष्ट्रीय संगोष्ठी :-** गिरते भू-जल स्तर की समस्या - मालवा क्षेत्र पर दिनांक 10.06.99 को आयोजित की गई थी । - अतिदोहन, डार्क तथा ग्रे क्षेत्रों में और अधिक भू-जल दोहन रोकने के लिए शासन द्वारा नलकूप के खनन में अनुदान सामान्य वर्ग को देना प्रतिबंधित किया है । शासन द्वारा भू-जल पुनर्भरण के प्रयास निम्नानुसार है:- • सब सरफेस डाइक के निर्माण • परकोलोशन टैंक के निर्माण • मोटेशियल ऐक्यूफर के भूमिगत सर्वेक्षण द्वारा उपचार स्थलों को चिन्हित किया गया । • राजीव गांधी मिशन के भू-जल संधारण के कार्यो तथा नगरीय क्षेत्रों में रूफवाटर हारवेस्टिंग में तकनीकी सहयोग। • शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संग्रहण के कार्यो में जन सहयोग से कराये जाने की भावना को उत्प्रेरित करना । 2. केन्द्रीय भूजल बोर्ड(भारत सरकार) द्वारा स्वीकृत सभी पांच सब सर्फेस डाइक योजना के	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					कार्य पूर्ण किये है । मंदसौर जिले में एक परकोलेशन टैंक ग्राम सीखडी चैकडेम ग्राम - रूपावली स्टापडेम ग्राम -खेड़ा, सीमेट प्लग ग्राम - अफजलपुर तथा ग्रेबियन स्ट्रक्चर 19 नं. के कार्य जून 2001 तक पूर्ण कर लिये गये है । सभी योजनाओं का क्रियान्वयन नियमानुसार किया गया है और धन का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 21/127/03/लासि/31/डी-1034, दिनांक 27.08.2003	
55.	114	अता.प्र.सं.89 (क्र.6269) दि.11.12.2000	जल संसाधन खण्ड श्योपुर के ग्राम मोराई डेम के अधूरे कार्य को नाबार्ड से धनराशि स्वीकृत कर पूर्ण किया जाना ।	नाबार्ड स्वीकृति के उपरांत कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा ।	मोराई डेम के लिए नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत दिनांक 30.06.2008 को कार्य पूर्ण किया जा चुका है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 21/136/2003/लघु/31/1186, दिनांक 19.08.2009	कोई टिप्पणी नहीं.
56.	173	ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 02 दि.10.11.2000	(1) चंबल संभाग के किसानों की सिंचाई सुविधा हेतु चंबल और उस क्षेत्र के विधायकों की समिति बनाकर समीक्षा की जाना । (2) चंबल संभाग में जल संकट के निराकरण हेतु उच्च स्तरीय प्रयास किया जाना । (3) भिण्ड क्षेत्रों में बंद ट्युबवेल चालू कराये जाना । (4) गोहद विधान सभा क्षेत्र में पिलुआ बांध से पानी उपलब्ध कराया जाना ।	(1) हम तारीख देख कर तय करेंगे और समिति बनाकर कार्यवाही करेंगे । (2) जब भी मुख्यमंत्री जी, उप मुख्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित रहेंगे शीघ्रातिशीघ्र बैठक कर ली जावेगी। (3) मैंने पहले भी कहा और फिर से कह रहा हूं कि सभी ट्युबवेल जो भी खराब है उनको 15 तारीख तक ठीक करा देंगे । (4) हम पूरा करेंगे ।	**(1 एवं 2)** चंबल संभाग के अंतर्गत राजघाट नहर परियोजना पूर्ण करने तथा चंबल परियोजना की नहर प्रणाली के उन्नयन का कार्य पूर्ण कराया जाकर वर्ष 2014-15 में 3,55,749 हे. सिंचाई की गई । वर्ष 2015-16 के लिए सिंचाई का लक्ष्य 3,99,470 हे. निर्धारित है । **(3)** कालांतर में उपरोक्त कार्य कराए जाने से भिण्ड क्षेत्र में बंद ट्युबवेल के सैच्य क्षेत्र में उक्त नहर प्रणालियों द्वारा सिंचाई उपलब्ध कराई जा रही है । **(4)** भिण्ड मुख्य नहर से पिलुआ बांध में पानी छोड़ा जाता है । म.प्र.सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग मद से पिलुआ बांध में सुधार एवं मरम्मत कार्य पूर्ण कराया जा चुका है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 21(ए)/03/2015/आश्वा./MPS/31/1938, दिनांक 01.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

अक्टूबर-दिसम्बर 2000 सत्र

वन विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
57.	118	ता.प्र.सं.03 (क्र. 455) दि.06.11.2000	मंत्रि-परिषद की 1999 में विभागीय समीक्षा में खनिज संपदा के बदले राजस्व भूमि सुनिश्चित किए जाने संबंधी निर्णय पर कार्यवाही एवं शिवपुरी में प्रस्तावित खदानों को खोला जाना तथा शिवपुरी जिलें में वर्ष 87 से पहले से कार्यरत श्री कृष्णकांत खरे को सेवा पृथक किए जाने की जांच तथा कार्यवाही।	1. नंबर 08 पर जो विषय था कि संपदा के बदले राजस्व भूमि सुनिश्चित की जाना। उस पर कार्यवाही चल रही है और इसका भी निराकरण यथाशीघ्र होगा। 2. इसका परीक्षण चल रहा है हम स्वयं भी प्रयासरत है कि यह कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ हो। 3. हम परीक्षण करायेंगे और 88 के पहले के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है तो नियमानुसार हम कार्यवाही करेंगे।	मंत्रि-परिषद का निर्णय दिनांक 17.01.99 अनुसार खनिज संपदा से युक्त वन भूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध कराकर खनिज दोहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाना थी। निर्णय के पालन में शिवपुरी, पन्ना, विदिशा, रायसेन एवं ग्वालियर जिलों के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही की जाना थी। जिलेवार वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :- शिवपुरी जिले में मंत्रि-परिषद के निर्णय के पूर्व से ही खदानों के एकजाई प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये थे, भारत सरकार द्वारा पत्र क्रमाक 8-36/91/एफ.सी./(Vol-III), दिनांक 19.07.2005 से 217.063 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। बिन्दु की जांच की गई, जांच में पाया गया कि उप वन मंडल अधिकारी करेरा के आदेश क्रमांक क्यू-1 दि.15.05.86 से 10 तेन्दुपत्ता सहायक नियुक्त किये गये थे, जिसमें अ.क्र.05 पर श्री एजाज खान शिवपुरी का नाम था। किसी शरारती तत्व द्वारा उप वन मंडल अधिकारी करेरा के आदेश अ.क्र.05 पर श्री कृष्णकांत पुत्र श्री एस.पी.खरे का नाम जोड़कर उसे नियमित कराने का प्रयास किया गया था। अभिलेखों के अनुसार श्री के.के.खरे नाम का कोई भी व्यक्ति वर्ष 1986 में तेन्दुपत्ता वन रक्षक शिवपुरी वन मंडल में पदस्थ नहीं रहा। वर्ष 1988 में रहे तेन्दुपत्ता गार्ड को ही नियमित किया गया है। अत: श्री के.के.खरे को नियमितीकरण की पात्रता नहीं है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन अराजपत्रित म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक 2699, दिनांक 16.03.2000 द्वारा श्री के.के.खरे को सूचित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-22-431/2000/10-2, दिनांक 04.04.2009	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
58.	127	ता.प्र.सं.03 (क्र.1798) दि.04.12.2000	याचिका क्र. 202/95 में 12 दिसम्बर, 1996 को हुए न्यायालयीन आदेश के बाद वन भूमियों पर बिना अनुमति चल रही गैर वानिकी गतिविधियों को रोकने के संबंध में शेष 75 प्रकरणों को न्यायालय में जांच हेतु प्रस्तुत करने की अवधि तथा जिन प्रकरणों में जांच पूर्ण हो गई है, उनमें प्रकरण दर्ज किए जाना।	1. विवेचना पूर्ण करने के बाद उनका न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। 2. बाकी जो प्रकरण रह गए है उनकों गुण-दोष के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र न्यायालय में उनका चालान प्रस्तुत किया जाएगा। 3. अगर प्रकरणों की जांच पूर्ण हो गई है तो 25 दिन के अंदर-अंदर उन प्रकरणों के चालान कर देंगे।	यह आश्वासन वर्ष 1996 से 2000 की अवधि में 10 वृत्तों के 15 वन मण्डलों के 96 प्रकरणों से संबंधित है। इनमें से 40 प्रकरणों में वन अपराध दर्ज नहीं हुआ तथा शेष 56 प्रकरणों में से 10 प्रकरण न्यायालय में लंबित है इनके अलावा अवशेष 46 प्रकरणों में से 14 प्रकरण वन मण्डल स्तर पर प्रशमन किये जा चुके है। 02 प्रकरणों में वन भूमि प्रभावित नहीं हुई है एवं 01 प्रकरण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृति हेतु भारत सरकार के स्तर पर लंबित है। बड़वानी जिले के 01 प्रकरण में जो विद्युत मण्डल से संबंधित है, आवेदक संस्थान को संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लेख किया गया है। इस प्रकार अब कुल मिलाकर 28 लंबित प्रकरणों में से 17 प्रकरणों में संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को प्रकरण के उल्लंघन की संक्षेपिका भेजते हुए संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है। अब शेष 11 प्रकरणों में से 01 प्रकरण में लापता पी.ओ.आर. काटा गया है। जिस पर कार्यवाही संभव नहीं है। शेष 10 प्रकरणों में संबंधित वनमण्डलाधिकारियों से जानकारी चाही गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 22-355/2000/10-3, दिनांक 28.09.2011	समिति चाहेगी कि शेष 10 प्रकरणों पर वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा ऐसी सक्षम कार्यवाही की जाएगी, जिससे वन भूमियों पर गैरवानिकी गतिविधियों पर सार्थक रूप से अंकुश स्थापित हो सके। शेष कोई टिप्पणी नहीं।

अक्टूबर-दिसम्बर 2000 सत्र
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
59.	136	परि.अता.प्र.सं.40 (क्र.858) दि.08.11.2000	परसवाड़ा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत, कनई के सचिव हेमराज चौधरी के विरूद्ध गंभीर अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं घोर लापरवाही की दिनांक 16.10.2000 को की गई शिकायत की जांच तथा कार्यवाही।	प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।	अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) बैहर द्वारा जांच के आधार पर श्री हेमराज चौधरी से पंचायत फंड की राशि 8000/- ग्राम पंचायत फंड में जमा करने हेतु नोटिस जारी किया जा चुका है तथा म.प्र.पंचायतीराज अधिनियम, 1993 की धारा 92(2) के तहत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। इस प्रकार प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रिया में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 10-73/200/22/पं-1/2000, दिनांक 20.08.2000	कोई टिप्पणी नहीं.
60.	146	परि.अता.प्र.सं.27 (क्र.2887) दि.29.11.2000	विकासखण्ड मुलताई की ग्राम पंचायत सर्रा के सरपंच द्वारा रोड निर्माण में अनियमितता की जांच तथा कार्यवाही।	जांच उपरांत स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और जांच के निष्कर्ष पर अग्रेत्तर कार्यवाही निर्भर है।	(1) विकासखण्ड मुलताई की ग्राम पंचायत सर्रा के सरपंच द्वारा रोड निर्माण में अनियमितता की जांच के संबंध में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से राशि की वसूली की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) मुलताई के न्यायालय में प्रचलित है। (2) आर.आर.सी. प्रकरण का निराकरण न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत होने के कारण कार्यवाही में समय लग रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 15-250/2001/22/प-2, दिनांक 06.03.2002	कोई टिप्पणी नहीं.
61.	148	परि.अता.प्र.सं.61 (क्र.3716) दि.29.11.2000	वर्ष 99-2000 एवं 2000-2001 में जिला पंचायत मंडला में स्वर्ण जयंती योजनान्तर्गत अनियमितता की जांच एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच में दोषी पाये जाने वाले संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी/शीघ्रातिशीघ्र।	तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मंडला के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है तथा आर्थिक अपराध अनुसंधान के तहत भी जांच की जा रही है। चूंकि उपरोक्तानुसार जांच संस्थित हो चुकी है और जांच के निष्कर्षो के आधार पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित होगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 11927/22/वि-6/वि.स./2002, दिनांक 07.10.2002	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
62.	158	अता.प्र.सं.07 (क्र.5605) दि.06.12.2000	आमला, पट्टन तथा मुलताई जनपद में भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित लेखापाल की बर्खास्तगी।	विभागीय जांच की कार्यवाही जारी है । जांच उपरांत निष्कर्षो के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही निर्भर है । एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई है । जिस पर पुलिस द्वारा कार्यवाही प्रचलित है ।	श्रीमती गौरी सूर्यवंशी, तत्कालीन लेखापाल के जनपद पंचायत प्रभात पट्टन एवं मुलताई कार्यावधि के दौरान की गई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार पर इनके विरूद्ध निम्नानुसार अपराधिक प्रकरण एवं विभागीय जांच संस्थित की गई है :- **आपराधिक प्रकरण :-** 1. अपराध क्रमांक 181/97 धारा 409, 420 ता.हि.- प्रकरण वर्तमान में पुलिस स्तर पर विवेचनाधीन है। 2. अपराध क्रमांक 72/2000 धारा 186 ता.हि. - प्रकरण में चालान क्रमांक 306/2000 दिनांक 24.12.2000 के द्वारा प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण न्यायालय जे.एम.एफ.सी. मुलताई में विचाराधीन है। 12.01.2001 के द्वारा विभागीय जांच संस्थापित की गई है। प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच की कार्यवाही प्रारंभ है। उपरोक्त आपराधिक प्रकरणों में न्यायालयीन निर्णय उपरांत तथा विभागीय जांच प्रकरणों में जांच उपरांत दोष सिद्ध होने पर नियमानुसार दण्ड देने की कार्यवाही संभव है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-71/2000/22/प.-1, दिनांक 21.10.2011	कोई टिप्पणी नहीं.
63.	159	अता.प्र.सं.26 (क्र.5119) दि.12.12.2000	प्रदेश में अर्थाभाव से ग्रस्त संगीतकारों, पत्रकारों एवं कलाकारों को सहायता राशि एवं परिवार पेंशन राशि दिया जाना।	स्वीकृति प्रक्रिया पूर्ण होते ही नियमानुसार राशि का भुगतान की कार्यवाही यथाशीघ्र की जा सकेगी।	विभाग के आदेश क्र. 2199/101/पी.एस.सी./एल/2001, दिनांक 03.01.2002 के द्वारा स्वीकृत राशि का भुगतान जिला पंचायत दतिया के पत्र क्रमांक 5266/लेखा/पंचा./2002, दिनांक 26.03.2002 अनुसार संबंधित आवेदकों को किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 18-111/2000/तीस, दिनांक 24.04.09	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
64.	164	परि.अता.प्र.सं.85 (क्र.6605) दि.13.12.2000	कन्नौद नगर पंचायत अंतर्गत सिंचाई तालाबों को ग्रामीण पंचायतों से स्वत्व लेकर नगर पंचायत कन्नौद के अधीन किया जाना।	नगर पंचायत से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जावेगी।	ग्राम पंचायत पिपल्दा क्षेत्र के अंतर्गत तीन तालाब स्थित है । ग्राम पंचायत द्वारा इन तालाबों का गहरीकरण व संधारण किया जाता है। ये निस्तारी तालाब है, इसलिए ग्राम पंचायत किसी भी संस्था को नहीं देना चाहती है । ऐसा प्रस्ताव ठहराव ग्राम पंचायत द्वारा दि.25.06.2001 को संकल्प पारित किया गया है । ऐसी परिस्थिति में उक्त तालाबों को नगर पंचायत कन्नौद को अंतरित किया जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-15-250/2000/22/प-2, दिनांक 06.03.2002	कोई टिप्पणी नहीं.

अक्टूबर-दिसम्बर 2000 सत्र
आवास एवं पर्यावरण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
65.	168	परि.अता.प्र.सं.58 (क्र.3788) दि.28.11.2000	उज्जैन शहर में प्रस्तावित वृहद यातायात नगर का निर्माण कराया जाना।	भूमि प्राप्त होने के उपरांत ही ट्रांसपोर्ट नगर की योजना क्रियान्वित की जायेगी।	उज्जैन नगर की पुनर्विलोकित विकास योजना 2021 दिनांक 16 जून 2006 से लागू की गई है। पूर्ववर्ती विकास योजना 1991 में यातायात नगर ग्राम नौलखा बीड में प्रस्तावित था, जिस हेतु भूमि अर्जन के समय यह ज्ञात हुआ कि प्रश्नाधीन भूमि वन हेतु सुरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती है, अत: इस स्थान पर यातायात नगर का निर्माण संभव नहीं था। विकास योजना 2021 में उक्त त्रुटि का सुधार कर इस भूमि को वन क्षेत्र दर्शाते हुए दो स्थानों पर ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि का प्रावधान किया जा चुका है एवं उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम मेढिया में यातायात नगर की योजना ली जाकर क्रियान्वित की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-9-146/32/2001, दिनांक 22.09.2012	कोई टिप्पणी नहीं.

अक्टूबर-दिसम्बर 2000 सत्र
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
66.	180	अता.प्र.सं.22 (क्र.2260) दि.21.11.2000	ग्वालियर संभाग में दिनांक 31.10.2000 तक पदोन्नति/ क्रमोन्नति के पात्र शासकीय सेवकों की क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाना।	यथाशीघ्र।	ग्वालियर संभाग के दिनांक 31.10.2000 तक क्रमोन्नति हेतु पात्र शेष शासकीय कर्मचारियों को क्रमोन्नति का लाभ दिया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** ए-8/133/2000/14-1, दिनांक 16.12.2004	कोई टिप्पणी नहीं.
67.	191	परि.अता.प्र.सं.66 (क्र.5781) दि.12.12.2000	जल संसाधन संभाग, नौगांव में पदस्थ कार्यपालन यंत्री द्वारा किए गए नियम विरूद्ध कार्य की जांच तथा दोषी के विरूद्ध कार्यवाही।	गुण-दोष के आधार पर उपर्युक्त कार्यवाही की जायेगी।	प्रथम दृष्टया श्री छोटेसिंह तत्कालीन भारसाधक अधि. कृषि उपज मण्डी समिति छतरपुर (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) एवं श्री मो.असलम कुरैशी जल संसाधन विभाग दोषी पाये गये थे उक्त दोनों अधिकारी मण्डी बोर्ड के नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु मण्डी बोर्ड के पत्र दि.12.12.2000 से म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग को लिखा गया है।पुनः प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, म.प्र.शासन भोपाल को पत्र दि.23.12.2002 से स्मरण पत्र भेजा गया। म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र दि.01.06.2002 से श्री छोटेसिंह तत्कालीन भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मण्डी समिति, छतरपुर (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) के विरूद्ध प्रकरण समाप्त करने के निर्देश दिये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** डी-10-494/2000/14-3, दिनांक 04.09.2004	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
68.	193	परि.अता.प्र.सं.92 (क्र.6419) दि.12.12.2000	कृषि स्नातक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की पृथक वरिष्ठता 30 प्रतिशत पदोन्नति कोटा देने के प्रस्ताव पर कार्यवाही में विलंब करने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	प्रकरण में विलंब के लिये परीक्षण किया जाकर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।	(1) प्रकरण के परीक्षण उपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो नियुक्ति के समय कृषि स्नातक थे, को दो अग्रिम वेतन वृद्धियां स्वीकृत करने के निर्देश है। इस प्रकार इन्हें गैर स्नातक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। पदोन्नति में भी पृथक से कोटा निर्धारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। (2) विलंब के लिए किसी के दोषी नहीं होने से कोई कार्यवाही की स्थिति निर्मित नहीं होती है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-8-36/2009/14-1, दिनांक 18.11.2009	कोई टिप्पणी नहीं.
69.	195	अता.प्र.सं.90 (क्र.6365) दि.12.12.2000	संचालनालय कृषि विभाग भोपाल में संचालक कृषि के रिक्त पद पर नियमित पदस्थाना।	न्यायालय के स्थगन आदेश रिक्त कराये जाने के बाद नियमित पदोन्नति की जा सकेगी।	विभाग के आदेश क्र. ए-1-ए/40/2001/14-1, दि.10.07.01 द्वारा डॉ.जी.एस.कौशल, अपर संचालक कृषि की पदोन्नति संचालक कृषि के पद पर की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 346/294/2013/14-1, दि.02.02.2013	कोई टिप्पणी नहीं.
70.	197	अता.प्र.सं.98 (क्र.6402) दि.12.12.2000	दमोह जिले के दमोह, तेंदूखेड़ा, बहेरा, हटा, बटियागढ़, पटेरा एवं पथरिया विकासखंडों में नीबू, आम एक्शन प्लान में नियम विरूद्ध नगद राशि देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	नगर राशि का भुगतान क्यों और किन परिस्थितियों में किया गया। जांच करवाई जावेगी। दोषी पाये जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।	कृषि विभाग द्वारा फल पौध रोपण कार्यक्रम/योजना के जारी निर्देश क्रमांक /बी-7/14-2/यो, दिनांक 15.05.1999 में आर्थिक सहायक को आदान सामग्री के रूप में प्रदान किया जाना था। लेकिन, तत्कालीन अधिकारी द्वारा आर्थिक सहायता को नगर(चेक) के द्वारा वितरण किया गया जिसे अनियमितता माना जाकर जांच करा कर कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया था। आर्थिक सहायता राशि वितरण में भ्रष्टाचार, अनियमितता प्रश्नाधीन नहीं है, वर्तमान में आर्थिक सहायक वितरण नीति में परिवर्तन कर आर्थिक सहायक स्वरूप आदान सामग्री वितरण न किया जाकर संचालित योजनाओं की नगद चेक/बैंक खाते में लाभ पहुंचाने के निर्देश दिये गये है। संबंधित अधिकारी श्री चरणाधीन श्रीवास्तव दिनांक 31.05.2001 को सेवानिवृत्त हुये है तथा उनका निधन हो चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3131/2868/2014/58, दिनांक 01.12.2014	कोई टिप्पणी नहीं.

अक्टूबर-दिसम्बर 2000 सत्र
गृह(पुलिस) विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
71.	208	ता.प्र.सं.07 (क्र.3219) दि.28.11.2000	श्री शरद शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बड़वानी श्री जे.सी.गुप्ता, उप यंत्री एवं रैदास पटेल, सरपंच, ग्राम पंचायत केली द्वारा किये गये गबन में दोनों अधिकारियों की गिरफ्तारी एवं निलंबन।	(1) जांच करा लेंगे। (2) इसका परीक्षण करवा लेंगे।	जिला बड़वानी थाना सिलावंद के अप.क्र.102/00 धारा 409,420, 465, 467, 471, 472, 288 भा.द.वि. में आरोपी शरद शर्मा एवं जे.सी.गुप्ता के विरूद्ध प्रकरण चलाये जाने हेतु अभियोजन स्वीकृत प्राप्त की गई। प्रकरण में आरोपीगणों को गिरफ्तार किया जाकर चालान क्र. 145/00, दिनांक 31.12.2000 को तैयार कर दिनांक 18.10.2006 को मा.मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बड़वानी के न्यायालय में पेश किया गया जिसका प्रकरण क्र. 617/06, दिनांक 18.10.2006 है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4221/3778/2011/बी-1/दो, दिनांक 28.06.2011	कोई टिप्पणी नहीं.
72.	213	अता.प्र.सं.10 (क्र.2598) दि.28.11.2000	गुना जिले में फौती आर्म्स लायसेंस के 99 जनवरी से 31.11.2000 तक के प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाना।	वर्तमान में लंबित फौती आवेदन पत्रों का निराकरण अभियान के तहत गुण-दोष के आधार पर सुनिश्चित किया जावेगा।	ग्वालियर संभाग के अंतर्गत गुना जिले में तत्समय फौती आर्म्स लायसेंस संबंधी शेष रहे आवेदन पत्रों का गुणदोषों के आधार पर निराकरण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7077/5338/2011/बी-1/दो, दिनांक 09.12.2011	कोई टिप्पणी नहीं.
73.	272	ध्यानआकर्षण सूचना दि.17.11.2000	(1) जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील मुख्यालय पर बिजली, पानी, सूखा राहत तहसील पुनर्गठन की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन द्वारा बरबर्ता पूर्ण लाठी प्रहार तथा फर्जी प्रकरण बनाकर गिरफ्तार करने के संबंध में। (2) उक्त आंदोलन में निर्दोष और निहत्थों लोगों पर हुए लाठी चार्ज व गिरफ्तार किए जाने की जांच तथा दोषियों पर कार्यवाही।	(1) गिरफ्तारी की कार्यवाही रोक लेंगे। (2) जो जांच अतिरिक्त कलेक्टर कर रहे है उसकी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद गुण-दोष के आधार पर जो संभव होगा वह किया जाएगा	उत्तर अप्राप्त	गंभीर मामले में 15 वर्ष के भीतर भी कार्रवाई होकर समिति को सूचित न करना क्षम्य अपराध नहीं है, यह निश्चित ही दोषियों को बचाने की प्रवृत्ति का द्योतक है। समिति इस निर्देश के साथ प्रकरण को समाप्त करती है कि न केवल अवैध नियुक्तियों के दोषी दण्डित हो वरन् इन्हें बचाने वाले भी दंड अवश्य पाएं। यह कार्रवाई अब अधिकतम 06 माह में कर ली जाए।

अक्टूबर-दिसम्बर 2000 सत्र
राजस्व विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
74.	236	परि.अता.प्र.सं. 45(क्रं.1351) दि. 13.11.2000	श्योपुर जिले में वाहन चालक भूपेन्द्र सिंह की दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्ति में की गई अनियमितता की तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	नियुक्ति में यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो दोषियों के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जावेगी।	म.प्र.शासन, राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 20.08.98 द्वारा श्योपुर जिले हेतु दो वाहन चालकों के पद स्वीकृत किये गये। वाहन चालकों के स्वीकृत पदों की पूर्ति के लिये राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत 31.12.88 तक के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सीमित परीक्षा आयोजित किये जाने के निर्देश थे। नवगठित श्योपुर जिले हेतु म.प्र.शासन, राजस्व विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-13/13/98/सात-4, भोपाल दिनांक 20.08.98 के अनुसार स्वीकृत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के क्रम में सीमित परीक्षा किये जाने हेतु एवं चयन किये जाने के लिये एक चयन समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्न सदस्य रखे गए। 1 अपर कलेक्टर, श्योपुर(वित्त शाखा) अध्यक्ष 2 अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) सदस्य श्योपुर 3 जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग मुरैना 4 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग श्योपुर सदस्य 5 डॉ. ए.आर.खान, मेडीकल ऑफिसर सदस्य प्रा.स्वा.केन्द्र, बडोदा। 6 अधीक्षक कलेक्टर कार्यालय मुरैना, सदस्य सचिव। श्योपुर जिले में भर्ती किये गये श्री भूपेन्द्र सिंह वाहन चालक की नियुक्ति के संबंध में आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के पत्र क्र. सीएडी/स्था/पी.एफ/3270 ग्वालियर दिनांक 06.08.98 द्वारा यह निर्देश प्राप्त हुए थे कि श्री भूपेन्द्र सिंह दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक दिनांक 31.12.88 के पूर्व से कार्यरत है। इन्हें नियमित नियुक्ति प्रदान किया जाना है। आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के पत्र क्रमांक सी.ए.डी./स्था/4/93/4857, दिनांक 04 दिसम्बर	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					1998 इस कार्यालय को भेजी गई जानकारी के अनुसार श्री भूपेन्द्र सिंह दिनांक 01.12.98 से आयुक्त कार्यालय में कार्यरत रहे हैं। श्योपुर जिले में चयन समिति के अनुसार श्री भूपेन्द्र सिंह की नियुक्ति कलेक्टर श्योपुर के आदेश क्रमांक 1459, दिनांक 27.02.99 द्वारा वाहन चालक के पद पर की गई है। श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय में दिनांक 01.03.99 में उपस्थित होकर कार्यरत हैं। कलेक्टर कार्यालय श्योपुर में श्री भूपेन्द्र सिंह वाहन चालक की नियुक्ति के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर चयन समिति द्वारा नियमानुसार चयन किया गया। अत: शासन आदेशों की अवहेलना की स्थिति न होने के कारण कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-1/आश्वासन/स्था/2015/5586, दिनांक 28.09.2015	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75.	240	ता.प्र.सं.04 (क्र.803) दि.27.11.2000	विधान सभा क्षेत्र मासोद के विकासखंड आठनेर में पूर्णा जलाशय के अंतर्गत आदिवासियों की डूब में आई भूमि का मुआवजा तथा भू-अर्जन की कार्यवाही।	(1) जलाशय में जो उसका नाला क्लोजर होगा जैसा ही महाराष्ट्र सरकार पैसा देगी हम मुआवजा का पैसा आदिवासियों को वितरित कर देंगे। (2) जब महाराष्ट्र सरकार राशि जमा करा देगी तो हम 03 महीने के अंदर भू-अर्जन की कार्यवाही कर देंगे और आदिवासियों को पैसा बांट देंगे।	महाराष्ट्र-पूर्णा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिला बैतूल के ग्राम - बालखेड़ा, बोथियामाल, अंधेरबावड़ी, बेलकुण्ड एवं सोनोरा की कुल 292.271 हेक्टेयर भूमि अर्जन हेतु दिनांक 06.09.2005 को अवार्ड पारित किया जाकर कुल 129 भूमि -स्वामियों को मुआवजा राशि का वितरण किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-20/417/2000/सात-2ए, दिनांक 09.08.2011	कोई टिप्पणी नहीं.
76.	244	ता.प्र.सं.23 (क्र.3510) दि.27.11.2000	मनियर(शिवपुरी) तालाब की डूब में आई शासकीय भूमि को राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी कर निजी भूमि स्वामियों के नाम किए जाने की जांच तथा कार्यवाही।	जांच उपरांत उसके निष्कर्षो के आधार पर ही तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	कलेक्टर, शिवपुरी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्रतिवेदन में बताया गया है कि मनियर तालाब सर्वे न. 637, रकबा 23 बीघा, वर्ष 1925 में शासकीय तालाब था । वर्ष 1950 के राजस्व अभिलेखों में उक्त सर्वे न. बंटाकों में होकर 637/1, 637/2 एवं 637/3 दर्ज है । उक्त अभिलेखों में भूमि स्वामी महाराज सिंह वल्द कृपालसिंह ठाकुर एवं जीवनलाल वल्द सुन्दरलाल किरार के नाम अंकित है। वर्ष 1925 से 1950 के मध्य का राजस्व रिकार्ड उपलब्ध न होने से स्पष्ट नहीं है कि राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन का क्या आधार रहा है । वर्तमान में भूमि राजस्व अभिलेखों में जिन भूमि स्वामियों के नाम दर्ज है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 20-500/2000/सात-2/ए,	कोई टिप्पणी नहीं.
77.	246	अता.प्र.सं.19 (क्र.2168) दि.27.11.2000	ग्राम सोना सांबरी तहसील इटारसी में मंदिर ट्रस्ट की भूमि का अवैध विक्रय कर नामांतरण किए जाने की जांच तथा कार्यवाही।	प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया नामांतरण की कार्यवाही नियमानुसार नहीं पाई गई है तथापि जांच पूर्ण होने पर ही उसके निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	तहसीलदार इटारसी ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 08.01.01 द्वारा प्रकरण पुनरीक्षण में लेना प्रस्तावित किया । इसके आधार पर न्यायालय कलेक्टर, होशंगाबाद में निगरानी प्रकरण क्रमांक 2-अ/6 वर्ष 2000-2001 दर्ज होकर न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत कार्यवाही प्रचलित की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-20-469/2000/सात-2ए, दिनांक 31.10.2001	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
78.	247	अता.प्र.सं.29 (क्रं.2528) दि.27.11.2000	सतना जिले की रघुराजनगर तहसील के रइया ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के उपरांत नक्शे व खसरे अलग किये जाना।	राजस्व अभिलेखों में यह कार्यवाही लगभग एक माह में पूर्ण कर ली जावेगी।	अप्राप्त	आ.क्र. 272 के अनुसार.
79.	252	अता.प्र.सं.30 (क्र.3598) दि.04.12.2000	सीधी जिले की सिंगरौली तहसील के अंतर्गत बैढ़न नगर रेस्ट हाउस के पास विद्युत मंडल के लिपिक श्री नरेन्द्र मिश्रा द्वारा शासकीय आवास के पीछे किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना।	अतिक्रमण प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित है।	तहसीलदार सिंगरौली के न्यायालयीन प्रकरण क्र. 9अ-68/99-2000 द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध आदेश पारित कर रू.1500.00 का अर्थदण्ड आरोपित कर बेदखल करते हुए सिविल जेल की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, सिंगरौली के आदेश दिनांक 21.03.2001 के विरूद्ध कमिश्नर रीवा द्वारा उनके आदेश दिनांक 10.04.2001 द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21-207/2000/सात/नजूल, दिनांक 27.10.2001	कोई टिप्पणी नहीं.

अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र
श्रम विभाग

स.क्र. (1)	आश्वासन क्रमांक (2)	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक (3)	आश्वासन का संक्षिप्त विषय (4)	आश्वासन का रूप (5)	शासन द्वारा की कार्यवाही (6)	समिति का अभिमत (7)
80.	474	अता.प्र.सं.20 (क्र.3375) दि.01.12.2000	जिला रायसेन अंतर्गत सी.जे. जिलेटिन प्रोडक्टस लि. में कार्यरत श्रमिकों को वेतन का भुगतान के संबंध में कार्यालय श्रमायुक्त भोपाल के 20.10.2000 के तारतम्य में फैक्ट्री के विरूद्ध कार्यवाही।	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33(सी)(1) के अंतर्गत प्रस्तुत दावा के संबंध में पक्षों की सुनवाई के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	प्रबंधन द्वारा आर.आर.सी. के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 7078/2000, दिनांक 12.12.2000 पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभी निर्णय नहीं दिया गया है। याचिका अभी माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। अग्रिम कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार ही की जा सकेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ/25-94/2011/ए-16, दिनांक 08.09.2011	कोई टिप्पणी नहीं.
81.	475	अता.प्र.सं.65 (क्र.4578) दि.01.12.2000	ग्वालियर जिले के जे.सी.मिल में श्रमिकों के पुनर्वास हेतु भुगतान किया जाना।	वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के वस्त्र आयुक्त मुम्बई से स्वीकृति अनुसार राशि प्राप्त होने के उपरांत किया जावेगा।	**मौखिक साक्ष्य दिनांक 09.09.2011 को समिति द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार निम्नांकित 03 बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार है:-** **बिन्दु क्रमांक 01 :-** ग्वालियर जिले के जे.सी.मिल में श्रमिकों के पुनर्वास के लिए भुगतान किये जाने के संबंध में कितनी राशि का पैकेज तैयार किया गया था। **जानकारी :-** ऐसा कोई पैकेज तैयार नहीं किया गया था। मांग अनुसार राशि का भुगतान किया जाना था। जिसके परिपालन में रू.19.81 करोड़ का भुगतान श्रमिकों को किया गया। **बिन्दु क्रमांक 02 :-** यह पुनर्वास सहायता कितने श्रमिकों के लिए थी तथा इनमें से कुछ श्रमिक सहायता राशि प्राप्त करने से वंचित तो नहीं रह गये है। **जानकारी :-** यह पुनर्वास सहायता 8063 श्रमिकों के लिए थी, इनमें से कुछ अपात्र होने से राशि प्राप्त करने से वंचित रहे। **बिन्दु क्रमांक 03 :-** इन श्रमिकों में कितने पात्र और अपात्र श्रमिक थे। **जानकारी :-** इन श्रमिकों में से 7380 पात्र थे शेष 683 अपात्र थे। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 25-22/2012/बी-16, दिनांक 16.01.2013	कोई टिप्पणी नहीं.

अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र
चिकित्सा शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
82.	295	अता.प्र.सं.76 (क्र.5722) दि.07.12.2000	सुल्तानिया जनाना चिकित्सालय भोपाल की पूर्व अधीक्षिका डॉ.श्रीमती अरूणा कुमार द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।	लोकायुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 23.12.2004 से सूचित किया गया है कि प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण क्रमांक जां. क्र. 163/2001 विचारोपरांत दिनांक 06.12.2004 को समाप्त किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-22/2000 दिनांक 04.08.2009	कोई टिप्पणी नहीं.

अक्टूबर-दिसम्बर 2000, सत्र
उच्च शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
83.	301	परि.अता.प्र.सं.48 (क्र.818) दि.09.11.2000	विदिशा स्थित एस.एस.एल.जैन महाविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच प्रशासक नियुक्त कर कराई जाना।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।	दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा से जांच कराई गई, कोई भ्रष्टाचार एवं अनियमितता नहीं पाई गई, अत: कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 30-41/02/38-1, दिनांक 27.04.2013	कोई टिप्पणी नहीं
84.	307	ता.प्र.सं.01 (क्र.6437) दि.14.12.2000	शास.एम.एल.बी.कला एवं वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर को वर्ष 1999 की मुख्य परीक्षा में छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं में कांट छांट कर अंक बढ़ाये जाने संबंधी जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही।	परीक्षण किया जा रहा है और शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।	शासकीय एम.एल.बी. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय ग्वालियर में वर्ष 1999 की मुख्य परीक्षाओं में छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं में कांट-छांठ कर अंक बढ़ाये जाने संबंधी जांच प्रतिवेदन के आधार पर डॉ.अयुब खान, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र के विरूद्ध दिनांक 25.02.2006 द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये थे। इसी प्रकरण में मा.उच्च न्यायालय ग्वालियर में दायर जनहित याचिका क्रमांक डब्ल्यु.पी.33/2005 में मा. न्यायालय द्वारा याचिका खारिज किये जाने के फलस्वरूप श्री खान का अभ्यावेदन समाधान कारक मानते हुए दिनांक 16.08.2007 द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में पुलिस थाना कम्पू, ग्वालियर एवं सीआईडी द्वारा विवेचना के उपरांत समुचित साक्ष्यों के अभाव के आधार पर अपराध की पुष्टि न होने के कारण प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-30-322/2011/38-2, दिनांक 24.08.2011	कोई टिप्पणी नहीं.

अक्टूबर-दिसम्बर 2000, सत्र
ऊर्जा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
85.	312	परि.अता.प्र.सं.03 (क्र.28) दि.09.11.2000	ग्राम कोठरी विकास खंड बनखेड़ी द्वारा निर्धारित राशि जमा करने पर भी विद्युत कनेक्शन देने में विलंब के कारण उत्तरदायी के विरूद्ध कार्यवाही।	उत्तरदायी के विरूद्ध विभागीय प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी।	श्री जी.डी.चौहान, सहायक अभियंता (टीबीपीएस) वितरण केन्द्र बनखेड़ी (तत्कालीन) को महाप्रबंधक (संचा./संधा.) होशंगाबाद के पत्र क्रमांक 463-64, दिनांक 26.06.2011 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया तथा आदेश क्रमांक 730-31, दिनांक 18.08.2001 से उनकी आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से एक वर्ष के लिए रोकी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-11-385/2001/तेरह, दिनांक 17.04.2013	कोई टिप्पणी नहीं.
86.	314	परि.अता.प्र.सं.37 (क्र.1349) दि.16.11.2000	जैतपुरकलां तहसील खिलचीपुर में लगाये गये पावर प्लांट की खरीदी में हुई अनियमितता में लिप्त दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाना।	यदि किन्हीं अधिकारियों को किसी भी प्रकार की अनियमितता का दोषी पाया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही तत्काल प्रारंभ कर यथाशीघ्र पूर्ण की जावेगी।	(1) माननीय लोकायुक्त द्वारा प्रकरणों की जांच/विवेचना कर अपने प्रतिवेदन में श्री जितेन्द्र शर्मा, मुख्य अभियंता, श्री पुनीत गुजराल, अधीक्षण यंत्री तथा श्री श्रीकांत देशमुख, अधीक्षण यंत्री (वर्तमान में पदावनत होकर कार्यपालन यंत्री) श्री बी.के.व्यास, सहायक यंत्री तथा श्री नाटेकर तत्कालीन लेखाधिकारी (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा विकास अभिकरण में पदस्थ) के विरूद्ध विभागीय जांच कर समानुपातिक शास्तियां अधिरोपित करने की अनुशंसा की गई। (2) प्रकरण में उक्त पांचों अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार दिनांक 11.08.04 को विभागीय जांच संस्थित की गई। इन विभागीय जांचों में श्री बी.एन.सिंह, भा.प्र.से.(सेवानिवृत्त) को विभागीय जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। श्री जितेन्द्र शर्मा, श्री श्रीकांत देशमुख व श्री बी.के.व्यास के विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। इन विभागीय जांचों में :- (i) श्री जितेन्द्र शर्मा, मुख्य अभियंता पर अपने पदीय कर्तव्यों के पालन में दोषी पाये जाने के कारण उनके वर्तमान मूल वेतन के समयमान में दो प्रक्रम नीचे दो वर्षो की अवधि के लिए नियत करने का दण्ड निगम के आदेश क्रमांक	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					ऊविनि/सतर्कता/07/550, दिनांक 23.05.2007 के माध्यम से अधिरोपित किया गया। (ii) श्रीकांत देशमुख, कार्यपालन यंत्री पर तत्समय अधीक्षण यंत्री पद पर रहते हुए अपने पदीय कर्तव्यों के पालन में दोषी पाये जाने के कारण दो वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति निगम के आदेश क्रमांक ऊविनि/सतर्कता/07/551, दिनांक 23.05.2007 के माध्यम से अधिरोपित की गई। (iii) नियमानुसार विभागीय जांच कार्यवाही कर श्री बी.के.व्यास, अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री को उन पर मंडित तीनों आरोपों के लिए पूर्ण रूप से दोषमुक्त सिद्ध होना परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम के आदेश क्र. ऊविनि/सतर्कता/07/556, दिनांक 29.06.2007 से आरोपों से दोषमुक्त किया गया, परन्तु भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न न हो, को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में कार्य का निष्पादन और जिम्मेदारी के साथ करने की चेतावनी दी गई। (iv) दिनांक 11.08.2004 को संस्थित विभागीय जांच के विरूद्ध श्री पुनीत गुजराल द्वारा दायर रिट पिटीशन क्र. 15770/2006 पर दिये गये मा.उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 14.12.06 में विभागीय जांच कार्यवाही स्थगित रखने के निर्देश दिये गये । निगम द्वारा उक्त स्थगन के विरूद्ध अधिवक्ता के माध्यम से विधिक कार्यवाही की गई है । वर्तमान में उच्च न्यायालय में प्रकरण अंतिम सुनवाई हेतु सूचीबद्ध है। (3) श्री डी.डी.नाटेकर, लेखा अधिकारी के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच म.प्र.शासन व छत्तीसगढ़ राज्य शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण को दिनांक	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					01.09.2005 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अंतरित की गई। इस विभागीय जांच में निगम की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जानी है । (4) अपचारी अधिकारियों श्री जितेन्द्र शर्मा, श्री देशमुख व श्री व्यास के विरूद्ध की गई विभागीय जांच कार्यवाही व निर्णय से लोकायुक्त संगठन को निगम के पत्र दिनांक 23.05.07 व 29.06.07 से अवगत कराया गया । (5) निगम द्वारा की गई विभागीय जांच/ अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में लोकायुक्त संगठन द्वारा अपने पत्र क्र.477/वि/38/261/ 2001-02, डी.ई-19/2003-04, दि.07.07.12 द्वारा प्रकरण समाप्त किया जाना, सूचित किया गया । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-188/R-1193/2012/साठ, दिनांक 18.02.2013	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
87.	316	परि.अता.प्र.सं.77 (क्र.2109) दि.16.11.2000	श्योपुर जिले के ग्राम कराई, राहरोन एवं सुवकरा में विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से जारी नहीं रखने के लिये जवाबदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाना।	जांच कार्य पूर्ण होते ही नियमानुसार कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।	श्योपुर जिले के ग्राम कराई, राहरोन एवं सुवकरा में विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से जारी नहीं रखने के लिये 06 सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्रियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई। जांच उपरांत श्री राकेश श्रीवास्तव, कनिष्ठ यंत्री की आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि तथा श्री एस.डी.एच.नकवी, सहायक यंत्री को परिनिन्दा की शास्ति अधिरोपित कर दण्डित किया गया है। शेष 04 सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्रियों को दोषमुक्त किया गया है। विधान सभा सचिवालय के पत्र क्र. 4179, दिनांक 24.02.2011 द्वारा उक्त आश्वासन के तारतम्य में श्री एस.डी.एच.नकवी, सहायक यंत्री के प्रकरण में अतिरिक्त बिंदुवार जानकारी प्राप्त हुई है, जो कि निम्नानुसार है:- • श्री एस.डी.एच.नकवी, सहायक यंत्री के विरूद्ध जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच की गई। • उक्त प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी, श्री व्ही.के.अष्ठाना, अति.अधीक्षण अभियंता(एस.टी.एम) संभाग शिवपुरी थे। • मुख्य अभियंता, म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि., ग्वालियर एवं अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रकरण में श्री एस.डी.एच. नकवी, सहायक यंत्री के विरूद्ध "परिनिन्दा"की लघुशास्ति अधिरोपित की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-11-385/2001/तेरह, दिनांक 10.08.2011	कोई टिप्पणी नहीं.
88.	326	मुख्यमंत्री प्रहर दि.04.12.2000	बीना से ग्वालियर होते हुए मालनपुर तक लाईन डालने को की गई घोषणा का क्रियान्वयन।	उसमें आगे की प्रक्रिया जारी है, शीघ्र ही हम उस पर काम करना प्रारंभ कर देंगे।	बीना-ग्वालियर 765 के.व्ही.लाईन एवं ग्वालियर में नये 400 के.व्ही.उप केन्द्र के निर्माण के कार्य पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा पूर्ण किये जा चुके है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-385/2001/तेरह, दिनांक 14.07.09	कोई टिप्पणी नहीं.

अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
89.	342	परि.अता.प्र.सं.28 (क्र.1200) दि.16.11.2000	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र त्योंथर, जिला रीवा में एक्स-रे स्थापित की जाना।	यथा संभव शीघ्र।	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र त्योंथर, जिला रीवा में दिनांक 23.08.2001 को एक्स-रे मशीन स्थापित की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 17-331/2000/17, दिनांक 06.01.2004	कोई टिप्पणी नहीं.
90.	344	ता.प्र.सं.07 (क्र.3550) दि.07.12.2000	(1) सीधी जिले में मलेरिया से हुई मौतों की जांच। (2) डॉक्टरों की टीम भेजकर इसकी जांच व सीधी जिले को मलेरिया से मुक्त कराने के प्रयास किया जाना। (3) मलेरिया निवारण प्रकोष्ठ के डॉ.के.के.खरे, प्रभारी संचालक द्वारा समीक्षा न करने पर उनके विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही।	(1) मैं इसकी जांच कर लूंगा। (2) बिल्कुल करेंगे। (3) मैं आज ही उनके निलंबन के आदेश जारी कर दूंगा।	(1) सीधी जिले में वर्ष 2000 के दौरान मलेरिया से हुई 33 मृत्यु की जांच करा ली गई है तथा जांच रिपोर्ट में दिये गये सुझाव के अनुसार मलेरिया की रोकथाम के लिए ग्राम स्तर तक सर्वेलेंस एवं प्रतिबंधात्मक उपाय किये गये। (2) सीधी जिले में मलेरिया की रोकथाम के लिए मेडिकल कॉलेज, रीवा से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भेजी गई तथा बुखार से पीड़ित सभी रोगियों की जांच कर उन्हें समुचित उपचार उपलब्ध कराया गया। परिणामस्वरूप सीधी जिले को काफी हद तक मलेरिया से मुक्त किया जा सका। (3) शासन से संबंधित। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4804/2010/17/मेडि-1, दिनांक 25.10.2010	कोई टिप्पणी नहीं.

अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
91.	350	ता.प्र.सं.13 (क्र.769) दि.10.11.2000	भोपाल जिले में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बेरोजगारों का ऋण स्वीकृत कराने में अनियमितता करने वाले दोषियों पर कार्यवाही।	फिर भी अगर प्रकरण में गलती है तो मैं कार्यवाही करूंगा।	वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच कराई गई है। इस संबंध में कोई अनियमितता नहीं हुई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-4-130/2000/अ/ग्यारह, दिनांक 02.08.2010	कोई टिप्पणी नहीं.

अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
92.	353	ता.प्र.सं.08 (क्र.3260) दि.04.12.2000	छतरपुर तहसील के गांवों में एस.डी.एम. तहसीलदार वी.पी.रावत व नायब नाजिर कलावत द्वारा मंदिरों के मृत पुजारियों के नाम के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर सरकारी बंधेज की राशि निकाले जाने की उच्च स्तरीय जांच दोषियों को हटाकर की जाना।	मैं मा.सदस्य को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उसकी जांच आयुक्त राजस्व द्वारा करा ली जाएगी और आदरणीय विधायक उसमें शामिल होना चाहेंगे तो उसके लिए भी आग्रह करूंगा । साथ ही साथ रिपोर्ट के पश्चात् दोषी व्यक्तियों होगे । उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही किये जाने हेतु राजस्व मंत्री से आग्रह करूंगा ।	(1) शिकायत के संबंध में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 12.07.01 द्वारा जानकारी दी गई थी कि श्री वी.पी.रावत एवं श्री रामानुज द्विवेदी, तहसीलदार के विरूद्ध कार्यवाही/विभागीय जांच हेतु आरोप पत्र दिनांक 24.04.2001 को जारी किये गये थे। (2) आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा करायी गई जांच में श्री वी.पी.रावत एवं श्री रामानुज द्विवेदी, तहसीलदार द्वारा आरोप पत्र का प्रस्तुत उत्तर समाधान कारक पाये जाने पर जारी आरोप पत्र, आदेश दिनांक 17.07.2001 द्वारा इस निर्देश के साथ निरस्त किये जा चुके है कि जिन व्यक्तियों ने फर्जी पुजारी बनकर राशि प्राप्त की है, उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये। साथ ही फर्जी तरीके से राशि भुगतान करने के लिए तत्कालीन नायाब नाजिर श्री मोहन कलावत को पूर्णत: जिम्मेदार माना जाकर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए कलेक्टर, छतरपुर को निर्देशित किया गया। (आयुक्त सागर संभाग का पत्र 1109/तीन/स.अ./2009, दिनांक 23.11.2009) (3) कलेक्टर, छतरपुर श्री मोहनलाल कलावत, सहायक ग्रेड-3, तत्कालीन नायब नाजिर तहसील कार्यालय छतरपुर के संस्थित विभागीय जांच में पारित आदेश दिनांक 21.03.2005 द्वारा आगामी दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाकर विभागीय जांच समाप्त की गई। (कलेक्टर, छतरपुर का पत्र क्र. 46/स्थापना/2010, दिनांक 13.01.2010) **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-6-18/2000/छ:, दिनांक 03.05.2010	कोई टिप्पणी नहीं.

अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र
खेल एवं युवक कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
93.	355	परि.अता.प्र.सं.73 (क्र.3999) दि.30.11.2000	वर्ष 99-2000 में खेल युवक कल्याण विभाग द्वारा म.प्र. के जिलों की अधोसंरचना एवं खेल संस्थाओं को दी जाने वाली अनुदान राशि को शासन के पास पुन: वापस लौटाने हेतु जवाबदारों एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	(1) यदि इसमें संबंधितों की अनियमितता अथवा लापरवाही पायी जाती है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (2) आवंटित राशि समर्पित करने में यदि संबंधित अधिकारी दोषी पाये जाते है तो उनके विरूद्ध विधिवत कार्यवाही की जावेगी।	प्रदेश में 26 खेलों में जिला संभाग एवं राज्य स्तरीय जूनियर एवं सीनियर एकीकृत खेलों का आयोजन, टी.टी.नगर स्टेडियम की अधोसंरचना एवं राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने हेतु संभावित व्यय आदि का ध्यान में रखते हुए अधोसंरचना मद की राशि मुख्यालय स्तर पर वापस प्राप्त की तथा शेष प्राप्त राशि जिलों को वापस कर दी गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-5-50/2000/नौ, दिनांक 04.07.2006	कोई टिप्पणी नहीं.

अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
94.	360	अता.प्र.सं.50 (क्र.3462) दि.27.11.2000	खाद्य विभाग विदिशा में व्याप्त अनियमितता की जनवरी, 99 से अक्टूबर, 2000 की अवधि में प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।	शेष शिकायतों में जांच पूर्ण होने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।	विधान सभा से प्राप्त पृच्छा पर कलेक्टर विदिशा द्वारा अपने अ.शा.पत्र दिनांक 18.02.2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त आश्वासन को गंभीरतापूर्वक तलाशने हेतु मेरे द्वारा 16.01.2013 को जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया। दिनांक 12.02.2013 को उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय में काफी तलाशने पर भी उक्ताशय से संबंधी नस्ती उपलब्ध नहीं हुई । दिनांक 11.09.2013 को सहायक आपूर्ति अधिकारी को भी वरिष्ठ कार्यालय, उक्त विधान सभा प्रश्न से संबंधित जानकारी तलाशने हेतु भेजा गया लेकिन वहां से भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी । जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय वर्ष 2003 में कलेक्टर कार्यालय की दूसरी मंजिल से स्थनांतरित किया जाकर दूसरी जगह शिफ्ट करते वक्त कुछ नस्तियां इधर-उधर हो गई है तथा इसकी दौरान कुछ अनुपयोगी नस्तियां विनष्टीकरण में भी ली गई थी। वर्तमान में कोई शिकायत लंबित नहीं है और उक्त प्रश्न को भी लगभग 14 वर्ष हो चुके है एवं नस्ती अनुपलब्ध है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-198/2000/29-2, दिनांक 05.12.2014	यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है कि मा.मंत्रियों द्वारा जन सामान्य के हितों के प्रति चिंतित जन प्रतिनिधियों की भावना को दृष्टिगत रखते हुये सदन में आश्वासन दिये जाते है तथा उनकी पूर्ति की अपेक्षा विभागों से की जाती है, किन्तु इस प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि आश्वासन की पवित्रता (Sanctity) को नष्ट कर दिया गया है। जब सदन में मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति के प्रति विभाग द्वारा ऐसा दुर्लक्ष्य किया गया है तो जन सामान्य की दैनन्दिन दुश्वारियों का निराकरण किस प्रकार होता होगा, यह समझा जा सकता है। समिति का यह स्पष्ट मत है कि इस प्रकरण में जानबूझकर लापरवाही की गई है, अत: ऐसे कृत्य अक्षम्य है । समिति इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि अभिलेख के रख-रखाव में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी दण्डित हों।

अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
95.	362	परि.अता.प्र.सं.01 (क्र.13) दि.08.11.2000	शहडोल जिले की नगर पालिका धनपुरी की परिषद द्वारा किए जा रहे कार्यो की जांच तथा परिषद के दोषी पदाधिकारियों एवं नगर पालिका अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही एवं आर्थिक क्षति की पूर्ति कराई जाना।	जांच प्रतिवेदन का परीक्षण एवं निष्कर्ष के आधार पर संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी और अन्य पदाधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण की जांच उप संचालक रीवा से कराई जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2607/2008/18-1, दिनांक 18.07.2008	समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि इस मामले में आश्वासन अनुरूप दोषियों के विरूद्ध त्वरित विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।
96.	367	परि.अता.प्र.सं.77 (क्र.2139) दि.05.12.2000	ग्वालियर में नगर निगम द्वारा अवैध निर्माणकर्ताओं पर कार्यवाही।	शेष 16 अवैध निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध हटाने की कार्यवाही की जा रही है।	आश्वासन से संबंधित 16 अतिक्रमणों में से 14 अतिक्रमण नगर निगम ग्वालियर द्वारा हटाये जा चुके हैं । शेष 02 अतिक्रमणों के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित होने के कारण अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी है । न्यायालयीन प्रकरणों की अद्यतन जानकारी निम्नानुसार है:- 1. इकबाल अहमद पुत्र निसार अहमद, अवाड़पुरा - मान.न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश-1 ग्वालियर में गतिशील प्रकरण श्रीमती निशायरा पत्नी इकबाल खाँ, अवाडपुरा लश्कर ग्वालियर का प्रकरण अदम पैरवी में दिनांक 08.01.2008 को खारिज हुआ था । पुन: माननीय न्यायालय तृतीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश द्वारा प्रकरण क्र. 124ए/2008 श्रीमती निशायरा पत्नी इकबाल खां विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं नगर निगम में वादी के पक्ष में निर्णय दिया जाकर प्रकरण में यथास्थिति के आदेश दिये हैं । 2. माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 3987/06 में पारित आदेश के पालन में इनायत खां पुत्र श्री कायम खां को नगर निगम द्वारा नजूल एन.ओ.सी., स्वामित्व दस्तावेज एवं प्रशमन राशि प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 12.10.12 एवं 06.02.13 को सूचना जारी की गई है । प्रकरण में अंतिम सूचना दिनांक 31.05.13 को 07 दिवस की	आ.क्र. 362 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					समयावधि देते हुये जारी की गई है । कार्यवाही गतिशील है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2337/2012/18-2, दिनांक 03.06.2013	
97.	373	परि.अता.प्र.सं.61 (क्र.2857) दि.22.11.2000	जिला-सीधी अंतर्गत नवजीवन विहार में शेष विस्थापित परिवारों को भूखण्डों का आवंटन।	शेष विस्थापितों को एक माह के अंदर पात्रतानुसार भूखण्ड आवंटित कर पट्टा दे दिया जाएगा ।	एन.टी.पी.सी. विन्ध्यगर से प्रभावित विस्थापित परिवारों को नवजीवन पुनर्वास कालोनी में निःशुल्क भूखण्ड आवंटित किए जाने की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत भू-अर्जन व मकान प्रमाण पत्र तथा एन.टी.पी.सी. की अनुशंसा के आधार पर सभी पात्र विस्थापितों को 40X60 वर्गफुट का निःशुल्क भूखण्ड आवंटित कर पट्टा प्रदान किया जा चुका है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2959/2335/12/18-1, दिनांक 03.09.2012	कोई टिप्पणी नहीं.
98.	374 "A"	अता.प्र.सं.20 (क्र.2202) दि.22.11.2000	नगरपालिका शहडोल में स्थानीय संपरीक्षक को आडिट के लिए रिकार्ड उपलब्ध कराया जाना ।	जांच उपरांत रिकार्ड नगरपालिका शहडोल को उपलब्ध करा दिया जावेगा ।	नगर पालिका शहडोल द्वारा ज्येष्ठ संपरीक्षक को वर्ष 2002-03 का रिकार्ड उपलब्ध करा दिया गया है । वर्ष 2002-03 से वर्ष 2005-06 की प्राप्त आडिट रिपोर्ट में रिकार्ड उपलब्ध न कराने का कोई आक्षेप नहीं है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1943/2008/18-1, दिनांक 30.04.2008	कोई टिप्पणी नहीं.
99.	374 "B"	परि.अता.प्र.सं.67 (क्र.2968) दि.22.11.2000	नगर निगम सीमा भोपाल में मेसर्स भारती टेलीनेट लिमिटेड कंपनी द्वारा खोदी गई सड़कों की मरम्मत करायी जाना ।	शेष सड़कों की मरम्मत वर्षान्त तक ठीक करा ली जावेगी ।	मेसर्स भारती टेलीनेट द्वारा बैंक गारंटी के आधार पर बैरागढ़ में एक किलोमीटर, गौतम नगर, शक्ति नगर में एक किलोमीटर तथा गोविन्द गार्डन क्षेत्र में 2.5 किलोमीटर मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2961/2336/2012/18-2, दिनांक 03.09.2012	कोई टिप्पणी नहीं.
100.	375	अता.प्र.सं.32 (क्र.2500) दि.22.11.2000	नगर पालिका परिषद विदिशा द्वारा वर्ष 1995 से 2000 तक की अवधि में सामग्री क्रय में की गई अनियमितताओं की जांच तथा कार्यवाही ।	अनियमितता पाये जाने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।	समस्त क्रय की गई सामग्रियों को अभिलेख एवं स्टोर में उपलब्ध सामग्रियों से मिलान करने पर सामग्री पूर्णतः सही पाई गई । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4012/2008/18-2, दिनांक 30.06.2008	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
101.	381	ता.प्र.सं.21 (क्र.3008) दि.29.11.2000	नगर निगम, भोपाल द्वारा वर्ष 99-2000 में अपात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृते करने के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जानकारी संकलित होने के उपरांत ही दोषी अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाकर कार्यवाही संभव हो पायेगी।	नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा अपात्र हितग्राहियों को निराश्रित पेंशन स्वीकृत किए जाने संबंधी प्रकरणों की जांच की गई। 57 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित किए जाने/राशि की वसूली की कार्यवाही की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1035/1955/2013/18-1, दिनांक 03.06.2013	कोई टिप्पणी नहीं.
102.	385	परि.अता.प्र.सं.75 (क्र.4064) दि.29.11.2000	भिण्ड जिले की मौ नगर पंचायत द्वारा निर्मित दुकानों का आवंटन बिना घोष विक्रय के किये जाने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	उत्तर प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्तमान में कोई कार्यवाही संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2980/2008/18-1, दिनांक 24.06.2008	आ.क्र. 362 के अनुसार.
103.	386	अता.प्र.सं.83 (क्र.4146) दि.29.11.2000	बरघाट नगर पंचायत, जिला सिवनी द्वारा पूर्व नगर पंचायत परिषद द्वारा निर्मित सुलभ शौचालय को तोड़ने एवं बंद करने की जांच तथा दोषियों के खिलाफ कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	नगर पालिका अध्यक्ष को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिया गया है। प्रकरण अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2506/08/18-1, दिनांक 02.06.2008	आ.क्र.362 के अनुसार.
104.	387	ता.प्र.सं.04 (क्र.4633) दि.06.12.2000	श्री डी.पी.गुप्ता, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच पन्ना जिले के बाहर अटैच करने का कष्ट करें।	यदि मुख्य नगर पालिका अधिकारी से जांच प्रभावित होती है तो निश्चित रूप से उसे पन्ना से हटाकर अन्यत्र पदस्थ कर दिया जायेगा। उसे अन्यत्र अटैच कर दिया जायेगा।	जांच प्रभावित न हो इस हेतु श्री डी.पी.गुप्ता, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अजयगढ, जिला पन्ना को शासन आदेश दिनांक 12.10.2000 के द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के अतिरिक्त कार्य से मुक्त किया गया। तत्पश्चात् श्री गुप्ता को नगर पंचायत अजयगढ़ से स्थानान्तरित किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3173/2012/18-1, दिनांक 20.09.2012	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
105.	395	परि.अता.प्र.सं.92 (क्र.5584) दि.06.12.2000	जिला इंदौर में खातीवाला कॉलोनी टैंक में अवैध निर्माण को तुडवाये जाने की कार्यवाही।	इस क्षेत्र में स्वीकृति के विपरीत किए गए निर्माण कार्य को तोड़ने की कार्यवाही विधि संगत प्रक्रिया अनुसार की जावेगी।	नगर निगम इंदौर क्षेत्रान्तर्गत खातीवाला टैंक के भूखण्ड क्रमांक 149, 150, 203, 204, 347, 350, 368, 396, 372 से 375, 410, 413, 413-ए तथा 840 पर निर्मित कुल 12 भवनों की अद्यतन स्थिति की जानकारी इस प्रकार है :- भवन क्रमांक 149, 150, 410, 413-ए तथा 413 खातीवाला टैंक में किये गये स्वीकृति के विपरीत अवैध निर्माण पूर्व में ही हटाये जा चुके है। भूखण्ड क्रमांक 204, 347, 372 से 375 एवं 840 में स्वीकृति के विपरीत किये गये सामान्य/हल्के स्वरूप के अवैध निर्माण को सूचना पत्र दिनांक 03.11.2012 के पश्चात् संबंधितों द्वारा स्वयं हटा लिया गया है। 01 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। शेष 03 भवनों पर स्वीकृति विरूद्ध निर्माण को हटाने हेतु दिनांक 06.06.2013 नियत की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1711/2334/2013/18-2, दिनांक 03.06.2013	समिति का स्पष्ट मत है कि जिस समय अतिक्रामकों द्वारा अवैध निर्माण के कार्य किये जा रहे होते हैं उस समय तो स्थानीय प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा आपराधिक रूप से अनदेखी की प्रवृत्ति अपनाई जाती है एवं इस संबंध में जब जन असंतोष सामने आता है तब ताबड़-तोड़ तरीके से कार्यवाही की जाती है। यह प्रवृत्ति किसी भी दृष्टि से जायज नहीं मानी जा सकती। समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि शासन द्वारा इस संबंध में एक निश्चित पारदर्शी नीति बनाई जाए, जिसमें किसी क्षेत्र विशेष में जिस अवधि में शासकीय परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण किया गया हो, उस अवधि में वहां पदस्थ जिम्मेदार अमले को दोषी करार दिया जाकर उनके विरूद्ध त्वरित विधिसम्मत् कार्यवाही की जाए।
106.	396	अता.प्र.सं.05 (क्र.2671) दि.06.12.2000	शहडोल जिले की जैतहरी नगर पंचायत द्वारा वर्ष 1999-2000 व 2001 वित्तीय वर्ष में ऐलम खरीदी में की गई अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही।	जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्तमान में कोई कार्यवाही संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2506/08/18-1, दिनांक 26.06.2008	समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि जैतहरी नगर पंचायत में ऐलम खरीदी में की गई अनियमितताओं की जांच में पाये गये दोषियों के विरूद्ध त्वरित विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
107.	406	अता.प्र.सं.15 (क्र.4567) दि.13.12.2000	मैहर नगर पालिका परिषद के अंतर्गत प्रायवेट बस स्टेण्ड परिसर कटनी मोड में शांपिग/काम्पलेक्स का ठेका नियम विरूद्ध दिये जाने की जांच एवं टेण्डर निरस्त किया जाना।	जांच उपरांत आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।	आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्रायवेट बस स्टेण्ड परिसर में भूमि खसरा 1524 पर प्रस्तावित शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण ठेका श्री बी.के.सिंह के नाम स्वीकृत किया गया था। उठाये गये विधान सभा प्रश्न के अनुक्रम में मूल नस्ती जांच हेतु कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर को प्रेषित की गई। तदोपरांत कलेक्टर, सतना की अध्यक्षता में गठित दर विश्लेषण समिति की बैठक दिनांक 15.04.2002 के निर्णय अनुसार श्री बी.के.सिंह. के नाम स्वीकृत ठेका निरस्त किया जाकर पुन: निविदा बुलाई गई व प्राप्त न्यूनतम दर पर ठेका स्वीकृत किया जाकर कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2359/1873/2012/18-3, दिनांक 03.09.2012	कोई टिप्पणी नहीं.

अक्टूबर-दिसम्बर 2000 सत्र
लोक निर्माण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
108.	411	ता.प्र.स. 14 (क्रं. 1762) दि. 23.11.2000	सागर जिले के खुरई रजवास रोड़ के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाना।	यथा संभव शीघ्र।	सागर जिले के खुरई रजवास मार्ग के निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति नाबार्ड मद में राशि 23672 लाख की जारी की जा कर कार्य जून 2005 में पूर्ण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4204/19/यो/09, दि. 20.08.2009	कोई टिप्पणी नहीं.
109.	413	अता.प्र.स. 26 (क्रं. 2407) दि. 28.11.2000	प्रदेश के कार्यपालन यंत्रियों द्वारा वित्तीय वर्ष 1997 से जून-जुलाई 2000 तक आवंटन से अधिक व्यय करने वाले कार्यपालन यंत्रियों के विरूद्ध कार्यवाही।	संबंधित से स्पष्टीकरण के उत्तर प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	कुछ कार्यपालन यंत्रियों के स्पष्टीकरण प्राप्त होना शेष है। एकजाई परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-1-208-2000/बी/19, दि. 17.07.2001	आ.क्र. 272 के अनुसार.
110.	414	अता.प्र.स. 27 (क्रं. 2408) दि. 23.11.2000	सिंहस्थ मेला, 1992 में हुई अनियमितताओं के जांच कार्य को पूर्ण किया जाना।	पूर्ण जांच यथाशीघ्र की जाएगी।	मुख्य तकनीकी परीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-17-44/95/स्था-19, दि. 06.07.01 द्वारा दोषी अधिकारियों को आरोप पत्रादि जारी तथा आदेश दिनांक 09.10.2001 द्वारा प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 5432/6638/19/यो/04, दि. 08.11.2004	आ.क्र. 272 के अनुसार.
111.	416	परि.अता. प्र.स. 18 (क्रं. 2556) दि. 30.11.2000	अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र में बाणसागर के कारण डायवर्सन रोड का चौड़ीकरण व डामरीकरण किया जावेगा।	जी हॉं, किया जावेगा।	कार्य कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3961/4804/2011/यो/19, दिनांक 29.07.2011	कोई टिप्पणी नहीं.

अक्टूबर-दिसम्बर 2000 सत्र
परिवहन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
112.	428	अता. प्र.स. 01 (क्रं. 1115) दि. 14.11.2000	1 तराना में म.प्र. परिवहन निगम की असंचालित बसों को संचालित किया जाना। 2 उज्जैन डिविजन में अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराई जाना। 3 प्राइवेट आपरेटर्स की बसों को परमिट दिये जाने की जांच। 4 महिदपुर तहसील के अंदर बसों का पुन: संचालन कराने हेतु वांछित कार्यवाही की जाना।	1. मान विधायक जी चाहते है कि 1-2 बसें और बढ़ा दी जायेगा तो हम बढ़ा देंगे। 2. उनके आग्रह पर हम उज्जैन को अतिरिक्त बसें उपलब्ध करायेंगे। 3. उसका में परीक्षण करा लूंगा और इस संपूर्ण कार्यवाही से मान. सदस्या को अवगत करा दूंगा। 4. मैं इसका परीक्षण करवा लूंगा, इस संबंध में एक बैठक बुलवा लूंगा जिसमें मान. सदस्या तथा उस क्षेत्र के अन्य अधिकारियों को बुलवाकर इसका निराकरण करवा दूंगा।	**1 एवं 2-** शासन स्तर से तत्समय पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया जा चुका है । पूर्व में प्रेषित पालन प्रति की प्रति संलग्न है। दि. 01.10.10 से निगम का संचालन पूर्णत: बंद हो चुका है। अत: इस बिन्दु के संबंध में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं। **3-** शासन स्तर से तत्समय पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया जा चुका है। वर्तमान में मध्यप्रदेश में निगम हेतु आरक्षित सभी राष्ट्रीयकृत योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है, तथा निगम हेतु सभी आरक्षित मार्गो को प्राईवेट बस संचालन हेतु खोल दिया गया है। अत: इस संबंध में किसी प्रकार की जांच अपेक्षित नहीं है। **4-** शासन स्तर से तत्समय पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया जा चुका है । वर्तमान में इस संबंध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2081/535/12/आठ दिनांक 11.06.12	कोई टिप्पणी नहीं.
113.	429	अता. प्र.स.26 (क्रं. 2361) दि. 21.11.2000	वर्ष 1998 से अक्टूबर 2000 की अवधि में सीहोर परिवहन कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही।	जांच उपरांत संबंधितों पर विधिवत कार्यवाही की जावेगी।	परिवहन आयुक्त से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राइज़ शिकायतों पर पुलिस उप महानिरीक्षक/ उपायुक्त "शिकायत/प्रवर्तन" भोपाल द्वारा जांच की गयी । जांच अधिकारी के प्रतिवेदन परिवहन आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर को प्रेषित किया गया, जिसे तत्कालीन परिवहन आयुक्त द्वारा जांचकर्ता अधिकारी की अनुशंसा अनुसार नस्तीबद्ध कर दिया गया है। अत: कोई अन्य कार्यवाही अपेक्षित है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10/333/2000/आठ, दिनांक 29.12.2004	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
114.	431	परि. अता. प्र.स. 65 (क्रं. 4864) दि. 05.12.2000	श्री ए.पी.अवस्थी, संभागीय प्रबंधक ग्वालियर के विरूद्ध की गई शिकायत की जांच तथा कार्यवाही।	श्री अवस्थी के विरूद्ध गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।	प्रकरण में श्री ए.पी.अवस्थी तत्कालीन संभागीय प्रबंधक ग्वालियर के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थापित की गई थी। विभागीय जांच श्री अवस्थी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने पर प्रकरण समाप्त कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-10-380/2000/आठ, दिनांक 15.03.2004	कोई टिप्पणी नहीं.

अक्टूबर-दिसम्बर 2000 सत्र
संस्कृति विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
115.	151	अता. प्र.स. 79 (क्रं. 5288) दि. 05.12.2000	पिछोर विकास खण्ड के ग्राम वीरा के पास कुण्डलपुर स्थान का सर्वेक्षण कराकर संरक्षण में लेकर विकास किया जाना।	प्रश्न में वर्णित स्थल का सर्वेक्षण करा लिया जावेगा। यदि स्थल पुरातत्वीय दृष्टि से महत्वपूर्ण पाया गया तो उसे संरक्षण में लेने की कार्यवाही की जावेगी।	म.प्र. शासन संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्रं 11-4/2009/तीस भोपाल दि.06.07.10 द्वारा मध्ययुगीन दो बुर्ज एवं प्राचीन मंदिर , मण्डप, कुण्ड व स्थल पर पड़ी प्राचीन मूर्तियों को संरक्षित घोषित किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ18-6/08/तीस दिनांक 13.03.2009	कोई टिप्पणी नहीं.
116.	432	ता. प्र.स. 12 (क्रं. 1708) दि. 28.11.2000	ग्वालियर संभाग में अश्लील फिल्मों के प्रदर्शन के संबंध में थाना मुरार में बसंत टाकीज के ऊपर दर्ज प्रकरण पर कार्यवाही।	सेंसर बोर्ड के पास जप्त की गई पूरी रील सत्यापन के लिए भेजी गई है। वहां से जैसे सूचना आएगी बसंत टाकीज के ऊपर कार्यवाही की जाएगी।	प्रकरण में थाना मुरार में अप. क्र. 517/2000 धारा 292 भादवि.07 पोर्नोग्राफी एक्ट 64 कॉपी राईट एक्ट में थी। जिसे मालखाना रजि. जप्त की गई थी, जिसे मालखाना रजि. के सरल क्रमांक 161/2000 एवं रोज. सान्हा क्रं 576 दिनांक 07.08.2000 की नकल को ड्राफ्ट के साथ सेंसर बोर्ड बम्बई जांच हेतु भेजी गई थी जिसे जमा करने के उपरांत रिपोर्ट रो.ना. सान्हा क्र 2053/24.08.2000 पर दर्ज की गई। रोज. सान्हा क्र. दिनांक 26.02.2004 को माननीय न्यायालय के मालखाना नंबर 342 दिनांक 26.02.2004 पर उक्त फिल्म की रील जमा करना लेख है। दिनांक 02.10.02 के रोज. सान्हा 178 के अनुसार उक्त फिल्म की रील आदि प्रमाणन बोर्ड भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय बम्बई से प्रादेशिक अधिकारी द्वारा भेजी गई। जप्तशुदा प्रिंट फिल्म प्रिंट तथा ऑब्जरवेशन जांच तस्दीक रिपोर्ट प्राप्त हुई। जप्त शुदा फिल्म प्रिंट ब्लू फिल्म पाई तथा जप्त सर्टिफिकेट की प्रति अन्य फिल्म की पाई गयी है। जो प्रकरण में संलग्न की गई है । प्रकरण के समस्त आरोपीगण को गिरा. किया जाकर प्रकरण में चालानकता कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। पुलिस द्वारा आश्वासन की पूर्ति के लिए आरोपीगण को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण में चालानकता कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ18-72/2013/तीन, दिनांक 31.09.2014	समिति अपेक्षा करती है कि संस्कृति को इस प्रकार अपदूषित करने वाले समाजद्रोही तत्वों के विरूद्ध न्यायालयीन निर्णय/आदेश के परिप्रेक्ष्य में कठोरतम कार्यवाही की जावेगी।

अक्टूबर-दिसम्बर 2000 सत्र
सहकारिता विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
117.	442	ता.प्र.स. 13 (क्रं. 1723) दिनांक 28.11.2000	शिवपुरी केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा करेरा की करही एवं समोहा समिति में फर्जी वितरण दर्शाकर राशि हड़पने की जांच तथा प्रबंधकों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना एवं प्रकरण पुलिस में दिये जाना।	**1.** विस्तृत जांच चल रही है और यह 15 दिन में पूरी हो जाएगी। **2.** हम संपूर्ण शिवपुरी जिले के बैंक की संस्था का विशेष आडिट करायेगें और 02 माह का समय इसमें लगेगा 02 माह में जितने भी गड़बड़ी घोटाले शिवपुरी बैंक में होगें सभी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। पुलिस में प्रकरण बनायेगें जो दोषी अधिकारी गड़बड़ी में पाये जायेगें उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे। **3.** पूरी जांच कराकर पूरे प्रकरण देंगे।	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शिवपुरी से सम्बद्ध सेवा सहकारी संस्थाओं में फर्जी ऋण वितरण के 21 प्रकरणों में न्यायालयीन निर्णय पारित कर डिग्री प्रदाय की जा चुकी है। आरोपी कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। कुल आरोपित राशि 28,21,210.03 रूपये हैं जिसमें 03 प्रकरणों में राशि रूपये 7.76 लाख, की वसूली की गयी। शेष राशि की वसूली हेतु प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शिवपुरी को राशि की वसूली कर आश्वासन का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है। आरोपित कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही एवं सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10/503/200/16-1/15/1, दिनांक 12.08.2014	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
118.	446	परि.अता.प्र.स. 2 (क्रं. 2789) दिनांक 05.12.2000	सतना जिले के मैहर विधानसभा क्षेत्र में स्थित सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्ष एवं दोषी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए गबन एवं भ्रष्टाचार अनियमितताओं की जांच तथा उनके खिलाफ कार्यवाही एवं एकाउटंस की जानकारी न रखने वाले पुलिस सब इंस्पेक्टरों को अलग से सहायता का प्रावधान किया जाना।	भोपाल से वरिष्ठ अधिकारी जाकर के वहां पर जांच करेंगे और उसमें पूरे बैंक की प्रत्येक सोसायटी की हो नहीं मान. सदस्य ने मैहर का पूरा पूछा है । मैं समूचे बैंक की जांच करवाकर के जो भी दोषी पाया जाएगा नीचे से ऊपर तक चाहे उसमें विभाग का अधिकारी हो चाहे आडिटर हो चाहे आडिट अधिकारी हो और चाहे संचालक मंडल के अध्यक्ष ही उसमें क्या न हों, किसी को बख्शा नहीं जाएगा उसमें उनके विरूद्ध भी सहकारिता अधिनियम के तहत जो कार्यवाही होगी हम करेंगे और चालान भी पेश करवाएंगे जिन अधिकारियों ने चालान पेश करने में देरी की है उनके खिलाफ भी कठोर कार्यवाही करेंगे। जांच रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा भी सही कार्यवाही नहीं की जाती है हम उनको भी निर्देश देगें शासन स्तर पर भी प्रयास करेंगे हम यह भी प्रयास करेगें की को-आपरेटिव्ह में भ्रष्टाचार के प्रकरणों में पुलिस विभाग पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देश देंगे कि वे प्राथमिकता के आधार पर इन प्रकरणों पर कार्यवाही करेगें। मैने स्पष्ट किया है कि इसके अलावा जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ में कार्यवाही करेंगे। इस संबंध में बैठकर विचार करेंगे यह मामला विचाराधीन है।	1. मुख्यालीन संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सतना से संबंद्ध प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं की जांच कराई गई। 2. मैहर वि.स. क्षेत्र की 14 समितियों में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु भेजी गई ।समितियों की पुलिस द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। 3. उक्त प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक सतना को दिनांक 07.02.02 एवं 15.01.03 को लिखा गया है। **विभागीय पत्र क्रं.** एफ-10-615/2000/15-1/2003, दिनांक 13.06.2013	आ.क्र. 272 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
119.	448	परि.अता.प्र.सं.31 (क्रं. 3822) दि.05.12.2000	सहकारी शक्कर कारखाना केलारस की अनियमितताओं की जांच।	जांच प्रतिवेदन प्रगति पर है।	म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक-15/15/95/15-1, दिनांक 29.09.95 एवं 15-14/98/15-1, दिनांक 24.02.99 के परिप्रेक्ष्य में श्री सुरेश चौधरी मान. विधायक की अध्यक्षता में समिति का गठन कर समिति संयोजक उप पंजीयक ग्वालियर को नियुक्त किया गया। समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विप/श.मि./ज/18/560, दि.13.03.2001 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है। तत्कालीन सचिव सहकारिता द्वारा जांच की गई तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन के कुछ बिन्दुओं पर प्रबंध संचालक सहकारी शक्कर कारखाना से टीप मांगी गई है टीप अभी प्राप्त नहीं हुई है। **विभागीय पत्र क्रं.** एण्फ 10-621/2000/15-1/02, दिनांक 12.07.2002	आ.क्र. 272 के अनुसार.
120.	450	अता.प्र.स. 35 (क्रं. 4090) दिनांक 05.12.2000	म.प्र. तिलहन संघ के संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा विगत दो वर्षो में प्रथम श्रेणी यात्रा के टिकिट अथवा नंबर देयकों में न दर्शाने पर संबंधितों से राशि की वसूली।	प्रश्नाधीन अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	संचालक श्री हरी सिंह पाटीदार श्री रूपा बेरवां तथा स्वरूप चन्द्र सूर्यवंशी से वसूली हेतु सहकारिता अधिनियम की धारा 64 में न्यायालयीन प्रकरण दर्ज है जिस पर विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रं.** एफ-10/565/2000/15-1दिनांक 06.08.2006	कोई टिप्पणी नहीं।
121.	451	ता.प्र.स. 37 (क्रं. 4126) दिनांक 05.12.2000	संयुक्त पंजीयक सहकारिता श्री एल.एन.खाती को वाहन चालक शुक्ला के निलंबन एवं अन्य शिकायतों की जांच तथा कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी।	आरोपी अधिकारी श्री एल.एन.खाती तत्कालीन संयुक्त पंजीयक एवं श्री शुक्ला, वाहन चालक जबलपुर, (जिस कर्मचारी को श्री खाती द्वारा अधिकार विहीन होने पर भी निलंबित किया गया था) का निधन हो चुका है, तथा संबंधित अधिकारी का भी निधन हो चुका है। अत: उक्त स्थिति में अब कोई कार्यवाही संभव न होने से लंबित आश्वासन की पूर्ति हो जाती है। **विभागीय पत्र क्रं.** 145/1687/2014/15-2, दिनांक 28.01.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
122.	457	अता.प्र.स. 27 (क्रं. 5138) दिनांक 12.12.2000	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक में नियमों एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके की गई अवैध नियुक्तियों के प्रकाश में आये प्रकरणों में उत्तरदायी दोषियों के विरूद्व कार्यवाही।	प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यथास्थिति कार्यवाही की जा सकेगी।	संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल की दिनांक 20.11.2000 को गोडाउन कीपर/कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनियमितता की जांच सौंपी गई थी। संयुक्त पंजीयक भोपाल के द्वारा दिनांक 07.02.2001 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। एक पृथक मामले में संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाए भोपाल को दिनांक 08.06.2001 को लिपिक सह टंकक पद पर अनियमित नियुक्ति की जांच आदेशित की गई । संयुक्त पंजीयक भोपाल के द्वारा दिनांक 21.08.2001 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त दोनों प्रतिवेदनों के आधार पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु अपेक्स बैंक एवं बैंक को पॅंहुचाई गई वित्तीय हानि के संबंध में धारा-58 (बी) का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रभारी अंकेक्षण को निर्देशित किया गया। अपेक्स बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी पाये गये श्री के.आर.साहू, मुख्य महाप्रबंधक, श्री एस. कुमार महाप्रबंधक श्री एम.एल.व्यास, प्रबंधक सेवा निवृत्त हो चुके है । श्री ए.के. परसाई, सहायक प्रबंधक वर्तमान में कार्यरत है जिनके विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही है जिनके विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही संस्थित की गई थी। बैंक के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा दिनांक 29.04.2002 को श्री परसाई को दोषमुक्त किया गया। प्रभारी अंकेक्षण द्वारा प्रस्तुत धारा-58-बी.के.विशेष प्रतिवेदन के आधार पर श्री सुभाष यादव, तत्कालीन अध्यक्ष, संचालक श्री टक्कन सिंह मरकाम, श्री बैजनाथ चन्द्राकर श्री मनोहर सिंह यादव,श्री जे.पी. गुप्ता, श्री बलराम सिंह बैस एवं तत्कालीन प्रबंध संचालक श्री बी.पी. शर्मा के विरूद्ध अधिनियम की धारा 58(बी) के अंतर्गत दिनांक 06.05.2005 एवं 15.07.2005 से प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच आदेशित की गई है । दिनांक 15.07.2005 से शेष 4 शीर्ष बैंक के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध 58 (बी) की कार्यवाही का कारण बताओ नोटिस को जारी किया गया है। गोडाउन कीपर/कनिष्ठ लिपिक के मामले में माननीय म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल द्वारा दिनांक 30.06.2005 को 21 कर्मचारियों के	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					प्रकरणों में आगामी पेशी दिनांक 26.07.2005 को अंतिम तक हेतु नियत है। आश्वासन अनुसार यथेष्ठ प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही शीघ्र बैंक एवं सहकारिता विभाग स्तर से पूर्ण की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रं.** एफ-10-599/2000/पन्द्राह-1, दिनांक 15.09.2005	

अक्टूबर-दिसम्बर 2000 सत्र
खनिज साधन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
123.	335	ता.प्र.स. 21 (क्रं. 5109) दिनांक 14.12.2000	शिवपुरी जिले के ग्राम झिरन्या में फर्शी पत्थर खदान हेतु लीज प्रदान किए जाने संबंधी प्राप्त आवेदनों का निराकरण।	प्राप्त प्रकरण परीक्षणाधीन है।	परीक्षण उपरांत यह पाया जाने पर कि प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण करने के लिए कलेक्टर स्वयं सक्षम है विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र मूलत: विभागीय ज्ञापन क्रमांक 4-100/2000/12/1 दिनांक 22.12.2000 से कलेक्टर, शिवपुरी को निराकरण हेतु लौटाये गये। **विभागीय पत्र क्रं.** 16-232/2001/12/1, दिनांक 22.02.2004	कोई टिप्पणी नहीं.
124.	460	ता.प्र.स. 3 (क्रं. 3591) दिनांक 30.11.2000	जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के पास चल रही अवैध खदानों की जांच एवं खदानों के नवीनीकरण हेतु लंबित आवेदनों का निराकरण।	1. मैं विभाग के अधिकारियों को भेजकर वहां दिखवा लूंगा और विधायक जी से भी व्यक्तिगत जानकारी में लूंगा और जांच करवाउंगा। 2. मैं व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ बैठकर जो वह जानकारी मुझे देगें मैं भोपाल से किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर जांच करा लूंगा। 3. इस तरह की इस प्रश्न के संदर्भ में 4 खदानें लंबित है और निराकरण शीघ्र किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।	तत्कालीन संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म श्री एस.एन. मालवीय को भेजकर जांच करवाई गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार लंबित चार खदानों का निराकरण निम्नानुसार किया गया है:- 1. श्री आर.के. असावा को ग्राम सिवनी टीला के रकबा 8.094 है. पर खनिपट्टा नवकरण स्वीकृति आदेश जारी किया जा चुका है। 2. श्री अजय अग्रवाल को ग्राम डुडवारा के रकबा 3.169 है. पर डोलोमाईट/सोपन खनिज का स्वीकृत खनिपट्टा निरस्त किया गया। 3. मे. एम.पी.लाईम्स वर्क्स जबलपुर के ग्राम ग्वारी जिला जबलपुर में स्वीकृत खनिपट्टा निरस्त किया गया। 4. श्री आर.के.असावा के पक्ष में जिला जबलपुर के ग्राम ललपुर में डोलोमाईट/सोपस्टोन खनिज का स्वीकृत खनिपट्टा निरस्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रं.** 16-153/2000/12/2 दिनांक 03.11.2004	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
125.	461	ता.प्र.स. 3 (क्रं. 4838) दिनांक 07.12.2000	जिला शिवपुरी के अंतर्गत स्वीकृत 62 खदानों के गड्ढों की नाप कराई जाना।	अब इन 62 खदानों को 6 महीने में नाप कराकर दे देंगे।	जिला कार्यालय शिवपुरी में खदानों के गड्ढा नाप हेतु तकनीकी अमला पदस्थ न होने के कारण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर में पदस्थ सर्वेयर के माध्यम से 62 खदानों में से 36 खदानों के ही गड्ढों के माप की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है, शेष खदानों के गड्ढा माप की जानकारी वर्तमान वर्षाऋतु समाप्ति के पश्चात् माप किया जाकर उपलब्ध कराई जा सकेगी। **विभागीय पत्र क्रं.** 16-233-2000/12/1, दिनांक 12.09.2005	कोई टिप्पणी नहीं.

अक्टूबर-दिसम्बर 2000 सत्र
सामान्य प्रशासन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
126.	468	परि. अता.प्र.स. 2 (क्रं. 1409) दिनांक 14.11.2000	ब्रम्हस्वरूप समिति के प्रतिवेदन में निर्विवाद प्रतिवेदन संस्तुतियों पर शासनादेश जारी किया जाना	शासन द्वारा परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा।	ब्रम्हस्वरूप समिति की अनुशंसाओं का मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा समग्ररूप से परीक्षण कर राज्य शासन द्वारा दिनांक 05.10.2006/17.10/2006 को आदेश जारी किये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रं.** एफ 2-40/1/वेआप्र/2000 दिनांक 08.02.2007	कोई टिप्पणी नहीं.

अक्टूबर-दिसम्बर 2000 सत्र
आदिम जाति कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
127.	480	अता.प्र.स. 74 (क्रं. 4699) दिनांक 01.12.2000	मांझी-मझवार जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किये जाने हेतु।	प्रस्तावों को आदिवासी मंत्रणा परिषद से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरांत।	मांझी एवं मझवार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य जातियों जैसे घीवर, केवट, कहार,भोई,मल्लाह निषाद आदि को अनुसूचित जनजाति अधिसूचित करने के संदर्भ में भारत सरकार को प्रस्ताव पत्र क्रमांक एफ 7-4/2004/25-5 दिनांक 17 फरवरी 2004 द्वारा प्रेषित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रं.** एफ-21-55/2011/25/5 दिनांक 07.07.2011	कोई टिप्पणी नहीं.
128.	486	परि.अता.प्र.सं.19 (क्रं. 33) दिनांक 01.12.2002	जिला शहडोल कलेक्टर द्वारा की गई 14 अवैध नियुक्तियों के संबंध में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	दोषी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है।	उत्तर अप्राप्त	गंभीर मामले में 15 वर्ष के भीतर भी कार्यवाही होकर समिति को सूचित न करना क्षम्य अपराध नहीं है, यह निश्चित ही दोषियों को बचाने की प्रवृत्ति का द्योतक है। समिति इस निर्देश के साथ प्रकरण को समाप्त करती है कि न केवल अवैध नियुक्तियों के दोषी दण्डित हों वरन् इन्हें बचाने वाले भी दण्ड अवश्य पाएं। यह कार्यवाही अधिकतम 06 माह में कर ली जाय।
129.	487	ता.प्र.स. 67 (क्रं. 4471) दिनांक 01.12.2000	धार जिले के तिरला विकासखण्ड अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा परिणाम निर्धारित मापदण्ड अनुसार संतोषप्रद न होने के कारण प्राचार्य के विरूद्ध कार्यवाही।	संबंधित से कारण बताओ सूचना का उत्तर प्राप्त होते ही गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायगी।	कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास के पत्र क्रमांक: स्था-1-/डी-2/1277, दिनांक 20.11.2000 द्वारा श्री नरसिंघानी प्राचार्य जिला धार के विरूद्ध नोटिस जारी किया गया तथा क्रमांक स्था-1-/डी-2/1257/8869, दिनांक 23.05.2002 द्वारा सी.सी. नियम के तहत नोटिस जारी कर परीक्षण उपरांत आदेश दिनांक 28.08.2002 द्वारा असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकी जाकर दंडित किया गया। **विभागीय पत्र क्रं.** एफ-21-24/2000/2-25, दिनांक 27.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

अक्टूबर-दिसम्बर 2000 सत्र
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या प्रश्न क्रमांक व दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
130.	288	परि.अता.प्र.सं.18 (क्र.5471) दि.15.12.2000	टीकमगढ़ जिले में वर्ष 1999-2000 का दूसरा सदभावना शिविर संपन्न कराने के लिये शासन से प्राप्त राशि में अनियमितता करने वाले दोषी लिपिक के विरूद्ध कार्यवाही।	अग्रिम लेने वाले लिपिक का स्पष्टीकरण लेते हुए जांच कर दोषी पाये जाने पर कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	दोषी कर्मचारी श्री रतीराम अहिरवार, सहायक ग्रेड-2 को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। दोषी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस का उत्तर संतोषप्रद न पाये जाने के कारण अग्रिम लेने वाले दोषी कर्मचारी श्री रतीराम अहिरवार, सहायक ग्रेड-2 के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 21-254/2000/25-4, दिनांक 05.10.2001	कोई टिप्पणी नहीं.
131.	484	ता.प्र.सं.13 (क्र.3683) दि.01.12.2000	सागर जिले में छात्रवृत्ति के लगभग सात लाख आठ हजार रूपये की राशि का फर्जी बैंक खातों से आहरण।	पुलिस विवेचना जारी है। जांच पूर्ण होने पर जो दोषी पाया जाएगा उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।	कलेक्टर सागर द्वारा जांच की जाकर जिले की तीस संस्थाओं के विरूद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक सागर से उनके पत्र दिनांक 23.11.10 से प्राप्त जानकारी अनुसार धारा 420, 467, 468, 34 ता.हि. के अंतर्गत पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरण 276/2000 में चालान क्रमांक 53/02 दिनांक 02.03.02 को प्रस्तुत किया गया, जिसका प्रकरण क्र. 80/10, दिनांक 08.03.2002 है। कलेक्टर, जिला सागर के पत्र दिनांक 06.07.2012 से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त आपराधिक प्रकरण में जे.एम.एफ.सी. सागर द्वारा आरोपीगणों को दि.29.09.2011 को दोषमुक्त किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-23-1/02/1/25, दिनांक 17.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं.

स्थान :- भोपाल

दिनांक:- 01 दिसम्बर, 2015

(राजेन्द्र पाण्डेय)
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

:: परिशिष्ट - 1 ::

अक्टूबर-दिसम्बर 2000, सत्र के आश्वासनों पर पूर्व में प्रस्तुत प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची

क्रमांक	आश्वा.क्रं.	विभाग का नाम	प्रकरण की स्थिति	विधान सभा अवधि
1.	01	स्कूल शिक्षा	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
2.	03	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
3.	06	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
4.	09	‘’	उन्नीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
5.	10	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
6.	11	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
7.	12	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
8.	13	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
9.	15	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
10.	16	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
11.	18	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
12.	22	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
13.	24	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
14.	26	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
15.	27	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
16.	28	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
17.	31	‘’	बारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
18.	32	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
19.	33	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
20.	35	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
21.	36	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
22.	38	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
23.	39	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
24.	41	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
25.	42	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
26.	43	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
27.	44	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
28.	49	‘’	उन्नीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
29.	53	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
30.	55	‘’	बारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
31.	56	‘’	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
32.	59	स्कूल शिक्षा	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
33.	62	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
34.	63	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
35.	65	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
36.	66	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
37.	68	‘’	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा

38.	69	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
39.	71	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
40.	72	‘’	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
41.	74	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
42.	75	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
43.	77	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
44.	79	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
45.	81	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
46.	82	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
47.	83	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
48.	84	जल संसाधन	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
49.	85	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
50.	86	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
51.	87	‘’	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
52.	91	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
53.	92	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
54.	94	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
55.	95	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
56.	96	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
57.	97	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
58.	98	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
59.	100	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
60.	101	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
61.	102	‘’	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
62.	103	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
63.	104	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश प्रतिवेदन
64.	105	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश प्रतिवेदन
65.	107	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
66.	108	आ.क्र.99 के समान होने पर विलोपित		विलोपित
67.	110	जल संसाधन	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
68.	111	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
69.	112	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
70.	113	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
71.	115	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
72.	116	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
73.	117	वन	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
74.	119	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
75.	120	‘’	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
76.	121	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
77.	122	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
78.	123	‘’	उन्नीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
79.	124	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा

80.	125	वन	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
81.	126	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
82.	128	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
83.	129	‘’	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
84.	130	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
85.	131	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
86.	132	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
87.	133	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
88.	134	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
89.	135	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
90.	137	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
91.	138	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
92.	139	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
93.	140	‘’	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
94.	141	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
95.	142	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
96.	143	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
97.	144	‘’	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
98.	145	‘’	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
99.	147	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
100.	149	‘’	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
101.	150	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
102.	152	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
103.	153	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
104.	154	‘’	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
105.	155	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
106.	156	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
107.	157	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
108.	160	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
109.	161	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
110.	162	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
111.	163	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
112.	165	‘’	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
113.	166	आवास एवं पर्यावरण	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
114.	167	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
115.	169	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
116.	170	‘’	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
117.	171	‘’	दशम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
118.	172	‘’	दशम प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
119.	174	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
120.	175	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
121.	176	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

122.	177	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
123.	178	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
124.	179	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
125.	181	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
126.	182	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
127.	183	‘’	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
128.	184	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
129.	185	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
130.	186	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
131.	187	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
132.	188	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
133.	189	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
134.	190	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
135.	192	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
136.	194	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
137.	196	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
138.	197	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
139.	198	गृह	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
140.	199	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
141.	200	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
142.	201	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
143.	202	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
144.	203	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
145.	204	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
146.	205	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
147.	206	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
148.	207	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
149.	209	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
150.	210	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
151.	211	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
152.	212	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
153.	214	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
154.	215	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
155.	216	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
156.	217	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
157.	218	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
158.	219	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
159.	220	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
160.	221	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
161.	222	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
162.	223	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
163.	224	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

164.	225	गृह	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
165.	226	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
166.	227	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
167.	228	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
168.	229	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
169.	230	गृह	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
170.	231	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
171.	232	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
172.	233	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
173.	234	राजस्व	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
174.	235	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
175.	237	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
176.	238	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
177.	239	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
178.	241	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
179.	242	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
180.	243	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
181.	245	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
182.	248	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
183.	249	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
184.	250	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
185.	251	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
186.	253	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
187.	254	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
188.	255	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
189.	256	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
190.	257	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
191.	258	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
192.	259	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
193.	260	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
194.	261	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
195.	262	‘’	दशम प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
196.	263	श्रम	दशम प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
197.	264	‘’	दशम प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
198.	265	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
199.	266	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
200.	267	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
201.	268	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
202.	269	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
203.	270	श्रम	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
204.	271	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
205.	273	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

206.	274	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	उन्नीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
207.	275	‘’	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
208.	276	पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
209.	277	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
210.	278	आदिम जाति कल्याण	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
211.	279	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
212.	280	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
213.	281	‘’	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
214.	282	‘’	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
215.	283	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
216.	284	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
217.	285	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
218.	287	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
219.	289	‘’	दशम प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
220.	290	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
221.	291	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
222.	292	चिकित्सा शिक्षा	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
223.	293	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
224.	294	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
225.	296	अनुसूचित जाति कल्याण	दशम प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
226.	297	चिकित्सा शिक्षा	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
227.	298	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
228.	299	‘’	बारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
229.	300	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
230.	302	उच्च शिक्षा	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
231.	303	‘’	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
232.	304	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
233.	305	‘’	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
234.	306	‘’	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
235.	308	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
236.	309	उच्च शिक्षा	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
237.	310	ऊर्जा	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
238.	311	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
239.	313	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
240.	315	‘’	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
241.	317	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
242.	318	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
243.	319	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
244.	320	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
245.	321	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
246.	322	‘’	दशम प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा

247.	323	ऊर्जा	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
248.	324	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
249.	325	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
250.	327	‘’	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
251.	328	‘’	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
252.	329	‘’	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
253.	330	‘’	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
254.	331	‘’	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
255.	332	‘’	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
256.	333	‘’	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
257.	334	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
258.	336	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
259.	337	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
260.	338	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
261.	339	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
262.	340	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
263.	341	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	उन्नीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
264.	343	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
265.	345	‘’	बारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
266.	346	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
267.	347	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
268.	348	वाणिज्यिक कर	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
269.	349	वाणिज्यिक कर	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
270.	351	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
271.	352	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
272.	354	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकीय	दशम प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
273.	356	विधि और विधायी	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
274.	357	‘’	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
275.	358	खाद्य नागरिक आपूर्ति	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
276.	359	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
277.	361	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
278.	363	‘’	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
279.	364	‘’	नवम् प्रतिवदेन	एकादश विधानसभा
280.	365	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
281.	366	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
282.	368	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
283.	369	‘’	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
284.	370	‘’	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
285.	371	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
286.	372	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
287.	376	‘’	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

288.	377	खाद्य नागरिक आपूर्ति	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
289.	378	‘’	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
290.	379	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
291.	380	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
292.	382	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
293.	383	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
294.	384	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
295.	388	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
296.	389	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
297.	390	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
298.	391	‘’	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
299.	392	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
300.	393	‘’	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
301.	394	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
302.	397	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
303.	398	खाद्य नागरिक आपूर्ति	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
304.	399	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
305.	400	‘’	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
306.	401	‘’	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
307.	402	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
308.	403	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
309.	404	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
310.	405	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
311.	407	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
312.	408	लोक निर्माण	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
313.	409	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
314.	410	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
315.	412	‘’	दशम प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
316.	415	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
317.	417	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
318.	418	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
319.	419	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
320.	420	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
321.	421	‘’	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
322.	422	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
323.	423	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
324.	424	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
325.	425	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
326.	426	‘’	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
327.	427	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
328.	430	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
329.	433	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा

330.	434	सहकारिता	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
331.	435	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
332.	436	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
333.	437	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
334.	438	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
335.	439	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
336.	440	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
337.	441	सहकारिता	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
338.	443	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
339.	444	‘’	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
340.	445	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
341.	447	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
342.	449	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
343.	452	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
344.	453	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
345.	454	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
346.	455	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
347.	456	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
348.	458	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
349.	459	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
350.	462	वित्त	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
351.	463	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
352.	464	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
353.	465	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
354.	466	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
355.	467	सामान्य प्रशासन	बारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
356.	469	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
357.	470	‘’	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
358.	471	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
359.	472	‘’	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
360.	473	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
361.	476	जेल	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
362.	477	आदिम जाति	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
363.	478	‘’	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
364.	479	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
365.	481	अल्पसंख्यक कल्याण	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
366.	482	ग्रामोद्योग	सप्तम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
367.	483	‘’	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
368.	485	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
369.	488	नगरीय प्रशासन एवं विकास	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
370.	489	वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार	सप्तम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

371.	490	वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
372.	493	स्कूल शिक्षा	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
373.	495	‘’	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
374.	496	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
375.	497	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
376.	500	‘’	बारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
377.	501	‘’	उन्नीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
378.	502	‘’	उन्नीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
379.	503	‘’	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
380.	504	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
381.	505	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
382.	507	‘’	प्रथम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
383.	512	‘’	द्वितीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
384.	514	‘’	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
385.	515	‘’	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा